Quarterly Progress Report
April to June 2008

Integrated Nutrition and Health Project - III
District - SEONI

Project Implemented By
Community Development Centre
Bhatera Chouky, Balaghat
M.P. 481 001 India
Phone : 07632 248585, 9425822228
Email : cdcindia@rediffmail.com

विषय का क्रम

- केंद्रों में दस्वावेजों की स्थिति
- पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस/मंगल दिवस
- मातृ सहयोगिनी समिति और आशा कार्यकर्ता का जुड़ाव
- आहार प्रदर्शन
- सेक्टर बैठक
- विकासखंड स्तरीय बैठक
- जिला स्तरीय बैठक
- स्वास्थ्य विभाग व महिला बाल विकास के साथ समन्वय के बिन्दु
- ग्रामसभा
- पंचायत बैठक
- वार्ड बैठक
- सचिव बैठक
- एडवोकेसी के मुद्दे और प्रयास
- मॉडल सेक्टर
  - संकल्प दीप
  - अन्य संस्था का प्रशिक्षण
  - संकुल का गठन
  - पंचायत प्रतिनिधि का प्रशिक्षण
  - पोशण स्तर आये हुये अंतर
- प्रभाव आंकलन
  - सेक्टर बैठकों के प्रभाव
  - एन.एच.डी. के अनुभव
  - परामर्श शिविर का फालोअप
  - मुस्कान शिविर
- बाल संजीवनी अभियान
- व्यवहारों का आंकलन
- रणनीति के आधार पर अनुभव
- जिला स्तरीय कार्ययोजना अनुसार अनुभव
- प्रयास ''सफल कहानी'
  - मेरी आंखो के दो तारे
  - फैलते पंख
  - गृहभेंट से आया व्यवहारों में बदलाव
  - पंचायत के प्रयास से आंग.केन्द्र की सेवाओं में सुधार
  - संस्थागत प्रसव से शिशु मृत्यु में आई कमी
  - केन्द्र भ्रमण से आया सुधार

संलग्न किये गये प्रपत्रों की सूची

- न्यूज कटिंग
- ग्रेडिंग नक्शा
- पोस्टकार्ड
- ग्रामसभा के प्रस्ताव की कापी
- कुपोशण कम करने हेतु कार्ययोजना की कॉपी
- मॉडल सेक्टर हेतु विभागों को प्रेषित पत्र
- विभाग द्वारा परामर्श शिविर में उपस्थिती हेतु पत्र
- चिरंजीव प्रोजक्ट बरघाट के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी प्रपत्र
- चिरंजीव प्रोजेक्ट के अंतर्गत पुरुश्कृत करने हेतु पत्र
- संयुक्त बैठक के संबंध में सी.एम.ओ का पत्र समस्त बी.एम.ओ को
- कृषि विज्ञान केन्द्र सिवनी के द्वारा पत्र
- पोशण आहार की स्थिति के संबंध में कलेक्टर के द्वारा पत्र
- विकासखंड स्तरीय विभागों को प्रेषित की जाने वाली केन्द्र भ्रमण के अनुभव की सूची
- आंगनवाड़ी भ्रमण प्रपत्र
- आंगनवाडी भ्रमण के संबंध में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी का प्रारूप प्रपत्र
- पाम्पलेट्स
- फोटो

दस्तावेजों की स्थिति

अप्रेल से मई के दौरान 98 केन्द्रों का भ्रमण किया गया जिसमें मुख्य दस्तावेजों के संधारण की स्थिति निम्नानुसार स्थिति पाई गई।

क.	विकासखंड	पंजी का नाम	पूर्ण	अपूर्ण
1.	छपारा	टीकाकरण पंजी	20	12
	लखनादौन		37	29
		योग	57	41
2.	छपारा	गृहभेंट पंजी	21	11
	लखनादौन		31	35
		योग	52	46
3	छपारा	उपस्थिति पंजी	26	06
	लखनादौन		49	17
		योग	75	23
4.	छपारा	वृध्दि चार्ट	14	18
	लखनादौन		39	27
		योग	53	45
5.	छपारा	आई.ई.सी. मटेरियल की उपलब्धता व प्रदर्शन	22	10
	लखनादौन		39	27
		योग	61	37

आंगनवाड़ी केन्द्रों में दस्तावेजों की स्थितियों को यदि देखा जाये तो पूर्व की अपेक्षा कुछ रिकार्ड संधारण में सक्रियता आई है। जिन केन्द्रों में अपूर्ण या फिर रजिस्टर बने नहीं थे उन्हें बनवाया गया एवं संधारण करने का तरीका बताया। आई.ई.सी मटीरियल जो कि आंगनवाड़ी केन्द्रों के संदेशो के वाहक हैं उनका डिसप्ले होना अत्यंत आवश्यक है। यह अधिकांश केन्द्रों में देखा गया कि इन्हें डिसप्ले किया गया था। जिन केन्द्रों में इनका उपयोग भलीभांति नहीं किया जा रहा है उन्हें करने हेतु कहा गया। इसी के साथ ही साथ अधिकांश आं.केन्द्रों में मातृ सहयोगिनी बैठक रजिस्टर बन चुका है लेकिन बैठकों का ब्यौरा लिखा नहीं जा रहा है। इस रजिस्टर के उपयोग के लिये कहा गया।

कमांक	पंजी का नाम	पूर्ण	अपूर्ण
1.	टीकाकरण पंजी	58.2 प्रतिशत	41.8 प्रतिशत
2.	गृहभेंट पंजी	53.6 प्रतिशत	46.4 प्रतिशत
3.	उपस्थिती पंजी	76.5 प्रतिशत	23.5 प्रतिशत
4.	वृध्दि चार्ट पंजी	54.1 प्रतिशत	45.9 प्रतिशत
5.	आई.ई.सी मटेरियल	62.2 प्रतिशत	37.8 प्रतिशत

पोषण और स्वास्थ्य दिवस/मंगल दिवस

विकासखंड समन्वयक के द्वारा मंगल दिवस में उपस्थित होकर यह जानने का प्रयास किया गया कि पोषण दिवस व मंगलदिवस का आयोजन आंगनवाडी में किस स्तर पर किया जा रहा है। उपस्थिती के दौरान गुणवत्ता पूर्ण मनाये जाने की बात की गई।

भ्रमण के आधार पर छपारा में 09 केन्द्रों में निश्चित तिथि में इस गतिविधि का आयोजन किया जा रहा है। 07 केन्द्रों बैरढाना, ताखला, मुर्गीटोला, नाकाटोला ढोडा, खैरमटाकोल, बबैया भोरगढ़, सर्रा, बेखंद में नियमित नहीं है।

विकासखंड लखनादौन के डोगरगांव, गुरार, मरहेटी, बटका, रमखिरीया देवरी उकारपार खडसी करनकोल डागन गोदी सुकवाह घाघरखैरी नजरगढ़ लालपुर, करछुआई, बोरिया, गंधीला, घोघरी, डुगरिया, खैरनरा पर निश्चित दिन पर नहीं हो रहा है। शेष केन्द्रों में नियमित तिथि में सम्पन्न किया जा रहा है।

मंगलदिवस का आयोजन सभी केन्द्रों में किया जा रहा है किन्तु इसे एकमात्र गतिविधि समझकर सम्पन्न कर दिया जाता है भ्रमण के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को यह बताया गया कि मंगलदिवस का आयोजन करते समय समुदाय को जोड़ना न भूले क्योंकि ये गतिविधि एक उत्सव के रूप में करने से समुदाय को आंगनवाड़ी का महत्व मालूम होगा। इसे गुणवत्ता पूर्ण सम्पन्न करने की बात करते हुये गोदभराई के दौरान प्रसव योजना बनवाना, अन्नप्राशन के बाद उपरी आहार पर समझाईश देने के लिये बताया गया। आहार प्रदर्शन करने की सलाह दी गई इस गतिविधि को महत्वपूर्ण बताते हुये अन्नप्राशन के उपरांत इसे उपस्थित ग्राम सदस्यों के बीच करने को कहा गया।

मातृ सहयोगिनी समिति, आशा कार्यकर्ता का जुड़ाव

मातृ सहयोगिनी समिति की सहभागिता आंगनवाड़ी केन्द्र में देखने पर कुछ ही केन्द्रों में दिखाई देती है। जिन केन्द्रों में सहभागिता देखी गई वहॉ समिति के सदस्यों के द्वारा महिलाओं को आंगनवाड़ी आने के लिये प्रेरित करना, आंगनवाड़ी केन्द्र में होने वाली विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दिये जाने वाले संदेशों को उचित हितग्राही तक पहूँचानें का की भूमिका निभा रही है। वे केन्द्र जहॉ मातृ संयोगिनी समिति का जुड़ाव है वहॉ मंगल दिवस गुणवत्ता पूर्ण उत्सव के रूप मनाये जा रहे हैं।

आशा कार्यकर्ता का जुड़ाव पूरी तरह से आंगनवाड़ी केन्द्रों से नहीं हो पाया है। विभिन्न अवसरों में अधिकांश केन्द्रों में अनुपस्थिती पाई गई। कुछ ही केन्द्रों में यह देखा गया कि गर्भवती स्त्रियों को समझाईश और संस्थागत् प्रसव कराने के लिये प्रेरित कर रही हैं और इसके साथ ही साथ मंगलदिवस में उनकी उपस्थिति हो रहीं हैं। सेक्टर बैठक में आशा कार्यकर्ता का जुड़ाव हो रहा है। आशा कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक के दौरान क्षमतावृध्दि की जा रही है, व परियोजना के उद्‌देश्य बताये जा रहे हैं। आंगनवाड़ी केन्द्रों में सहभागिता हो इस हेतु प्रयास किये जा रहे हैं कि सेक्टर बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ वे भी उपस्थित रहे।

आहार प्रदर्शन

अप्रैल से जून तक की स्थिति में 21 आहार प्रदर्शन का आयोजन किया जा चुका है। इस प्रदर्शन के दौरान यह प्रयास किया गया कि महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, पंचायत प्रतिनिधि और समुदाय के लोग उपस्थित

आहार प्रदर्शन के दौरान शामिल किये जाने वाले बिन्दु

- गर्भवस्था के दौरान देखभाल : इसके अंतर्गत बताया गया कि इस समय में दोपहर में कम से कम 1 घण्टे आराम अत्यंत आवश्यक है। टिटनेस के दो टीके लगना और आयरन की 100 गोली लेना। इसके साथ ही साथ 7 से 9 माह के बीच में प्रसव योजना तैयार होना।

- गर्भवती स्त्री का खानपान : खानपान की बात करते हुये कहा गया कि चूंकि अब गर्भ का विकास हो रहा है तो अतिरिक्त खुराक लेना आवश्यक है जिसमें हरे पत्तेदार सब्जियां फल लेना शरीर के लिये और गर्भ के विकास के लिये लाभदायक है।

- आंगनवाड़ी केन्द्र से मिलने वाली सुविधायें : उपस्थित लोगों को बताया गया कि शासन के द्वारा आंग.केन्द्र के माध्यम से पूरक पोषण आहार गर्भवती घात्री और 6 माह से 5 साल तक बच्चों के लिये, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवा, अनौपचारिक शिक्षा और इसके साथ ही साथ पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है।

- प्रसव के दौरान की तैयारियां : प्रसव के दौरान की तैयारियों के अंतर्गत बताया गया कि प्रसव योजना प्रशिक्षित दाई आशा वर्कर की पहचान, बचत, वाहन एवं अस्पताल की पहचान, साफ सूती कपड़ा ब्लेड धागा की तैयारी प्रसव के समय साथ रहने व्यक्ति की पहचान के विशय में बताया गया।

- 0 से 6 माह तक बच्चे का सिर्फ स्तनपान : बच्चे के जन्म के तुरंत ही स्तनपान और लगातार 6 माह तक सिर्फ स्तनपान के लिये कहा गया। जायफल घुट्टी शहद आदि न देने के लिये कहा गया।

- गोदभराई अन्नप्राशन जन्मदिवस किशोरी बालिका दिवस : आंगनवाड़ी केन्द्र में होने वाले मंगल दिवस जिसमें गर्भवती की गोदभराई, 6 माह बाद के बच्चे का अन्नप्राशन, बच्चों का जन्मदिवस और किशोरी बालिका को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के बारे में विस्तृत बताया गया।

- मातृ एवं शिशु रक्षा कार्ड : कार्ड के बारे में बताया गया कि इस कार्ड में महिलाओं की गर्भ जांच से लेकर टीका आदि का विवरण होता है। और इसी में शिशु जन्म से लेकर उसको लगने वाले टीके और वजन तथा ग्रेड का विवरण होता है।

- पंचायत के द्वारा आं.केन्द्र की देखभाल निगरानी : ऐसे बच्चे जो कि कुपोशित हैं उन्हें आंग. केंद्र से सेवाएं प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करें। व छूटे बच्चे व आंग.केन्द्र से वंचित बच्चों को आंगनवाड़ी से जोड़े।

क	सेक्टर का नाम	बैठक के दौरान की गई चर्चाऍं	लिये गये निर्णय
1.	गोरखपुर वि.–छपारा	➢ खैरनरा में किसी भी गर्भवती महिला की प्रसव योजना न बनना। ➢ आई.ई.सी. मटेरियल का उपयोग न होना। ➢ बबैया में 05 गर्भवती महिला टी.टी. से वंचित। ➢ गर्भवती महिला राजकुमारी/मिट्ठन/09 माह और शारदा/रघुवीर/07 माह की जांच न होना। ➢ गर्भवती महिलाओं के द्वारा पैसों की बचत को प्राथमिकता। ➢ मुर्गीटोला में बी.सी.जी के 06 बच्चे, खसरा के 02 बच्चे और टी.टी.से 02 महिला वंचित। ➢ मुर्गीटोला में वजन नियमित न होना। ➢ बबैया में 01 भी बच्चा उपस्थित न होना और पोषण आहार न बनना। ➢ फरवरी और मार्च माह के आधार पर सामान्य ग्रेड के बच्चों में 07 प्रतिशत कमी आई। ➢ ढुढई केन्द्र का बंद मिलना ➢ सुकरी में एन.एच.डी. के दौरान पोषण आहार वितरण नहीं होना। ➢ सुकरी में 2002 से वृध्दि चार्ट न भरना। ➢ सुकरी गोदभराई का आयोजन न होना। ➢ गृहभेंट पंजी नहीं बनी थी। ➢ ग्रेडिंग पर चर्चा हुई।	❖ मुर्गीटोला में नियमित टीकाकरण माह के तृतीय मंगलवार को होगा। ❖ साल्टर मशीन जोकि चीखली में थी, वह ढुढई में रहेगी जिससे 04 गांव वजन नियमित और सही हो सके। ❖ सॉल्टर मशीन जोकि 8 हैं वे सभी केन्द्रों तक अभियान के दौरान पहुॅचेगी। ❖ गृहभेंट पंजी नियमित भरी जायेगी। ❖ मातृ सहयोगिनी समिति का सहयोग बाल संजीवनी अभियान के दौरान लेने का निर्णय लिया गया।
2.	चमारी वि.–छपारा	➢ कमली में रिकार्ड अपूर्ण पाये जाना। ➢ गीता/नरेश गर्भवती महिला की जांच न होना। ➢ आई.ई.सी. का उपयोग न होना। ➢ तेंदनीटोला के 30 बच्चे का सेवाओं से वंचित रहना। ➢ नौशाद्/कासम गत 01 वर्ष से वृध्दिचार्ट अपूर्ण होना। ➢ साल्हेगढ़ गत् तीन माह से वृध्दिचार्ट अपूर्ण होना। ➢ बड़पानी में ग्रेड में अंतर मिलना और गृहभेंट रजिस्टर नियमित नहीं होना। ➢ भोरगढ़ में अभियान के दौरान ए.एन.एम न पहूॅचना एवं कार्यकर्ता का न मिलना। ➢ कार्यकर्ता द्वारा गृहभेंट न करना। ➢ पिण्डरई कार्यकर्ता द्वारा सही वजन न लिखना। ➢ पोषण आहार नियमित न भरना। ➢ प्रथम द्वितीय ग्रेड के बच्चों पर विशेष ध्यान देना। ➢ कमली में कार्यकर्ता का अनुपस्थित मिलना, गृहभेंट न करना, वजन नियमित और सही न भरना। ➢ बडपानी पानी में रिकार्ड की स्थिति अच्छी पाया जाना। ➢ मंगलदिवस का आयोजन नियमित करने पर चर्चा। ➢ इमलिया में व्यवहारों का पालन होना। ➢ बालसंजीवनी का आंकड़ा 11 व 12 अभियान में 3.54 का सामान्य ग्रेड में वृदिध हुई है। ➢ गृहभेंट पंजी पर चर्चा। ➢ कमली में रिकार्ड अपूर्ण होना।	❖ प्रतिदिन गृहभेंट किया जायेगा। ❖ साल्टर मशीन से वजन लेना। ❖ तेंदनीटोला के 30 बच्चों को दर्ज किया जायेगा एवं मंगलदिवस में सम्मिलित किया जायेगा। ❖ प्रतिदिन गृहभेंट किया जायेगा। ❖ साल्टर मशीन से वजन लेना। ❖ प्रथम एवं द्वितीय ग्रेड के बच्चों के यहां महत्वपूर्ण गृहभेंट देगें। ❖ चलो घर चले अभियान की कार्ययोजना बनाई गई। ❖ अनाज किट बनाने का निर्णय।

3.	छपारा {अ} वि.–छपारा	➢ सालीबाड़ा में 01 वर्श से गृहभेट पंजी का अपूर्ण होना। ➢ सकवाह में गृहभेंट पंजी का अपूर्ण होना। ➢ निवारी में प्रसव योजना न बनना। ➢ निवारी में घुट्टी , जायफल देना। ➢ सालीवाड़ा में 03 बच्चों के नाम वृध्दि चार्ट में न होना। ➢ नई ग्रेडिग की स्थिति बताई गई। ➢ 11 व 12 अभियान की स्थिति बताई गई। ➢ सरंडिया में आइईसी का उपयोग नहीं हो रहा।	❖ गृहभेंट पंजी नियमित भरी जायेगी। ❖ समय में केन्द्र खोला जायेगा। ❖ गोदभराई के दौरान ही प्रसव योजना तैयार की जावेगी। ❖ चलो घर चले अभियान की कार्ययोजना बनाई गई। ❖ मंगलदिवस गुणवत्तापूर्ण मनाना।
4.	छपारा ब वि.–छपारा	➢ दानीमेंटा में उप.पंजी अपूर्ण पाया जाना। ➢ दानीमेंटा में गोदभराई न होना। ➢ सिवनीटोला में आईईसी का उपयोग न होना। ➢ गृहभेंट पंजी नियमित करना। ➢ प्रसव योजना पर चर्चा ➢ आदर्श व्यवहारों की स्थिती पर चर्चा। ➢ टीकाकरण की स्थिती पर चर्चा।	❖ नियमित गृहभेंट पर निर्णय लिया गया। ❖ प्रसव योजना बनाने पर निर्णय।
5.	देवरीकला वि.–छपारा	➢ सर्रा में टीकाकरण न होना। ➢ बच्चों की उपस्थिति देवरीकला 1 में कम पाया जाना। ➢ दरबई में गृहभेंट नियमित न भरा न जाना। ➢ दरबई में टी.टी की अउपलब्धता। ➢ ग्रेड़िग बताई गई। ➢ पोस्टकार्ड सर्रा से भेजा गया।	❖ किचर गार्डन बनाने का निर्णय। ❖ सभी केन्द्रों में जांच का निर्णय।
6.	भीमगढ़ वि.–छपारा	➢ पिछले अभियान की तुलना में सा.ग्रेड 2. 32 की वृध्दि हुई है। ➢ नई ग्रेडिग में अवगत कराया गया। ➢ सागर में गृहभेंट नियमित न होना। ➢ नियमित गृहभेंट पर चर्चा। ➢ प्रसव योजना गोदभराई के दौरान बनवाना।	❖ नियमित गृहभेंट करना। ❖ चलो घर चले गृहभेंट अभियान की कार्ययोजना बनाई गई। ❖ अनाज किट बनाने पर निर्णय। बेरबंद में टीकाकरण का दिन माह का 4 मंगलवार तय किया गया।
7.	घूमा, बंजारी वि.–लखनादौन	➢ उपस्थिती पर चर्चा ➢ रिकार्ड सेक्टर बैठक में लेकर आना तथा ए.एन.एम के साथ मिलान करना। ➢ मढदेवरी आं. केन्द्र बंद मिलना। ➢ पोषण स्वास्थ्य दिवस पर ए.एन.एम का सही समय में पहूॅचना। ➢ किचिन गार्डन निर्माण ➢ पोषण स्वास्थ्य दिवस में ए.एन.एम/ए. डब्ल्यू/डब्ल्यू/आशा की संयुक्त गृहभेंट पर चर्चा। ➢ केन्द्रों के मॉडल बनाने पर चर्चा। ➢ सुपोशण के स्तर पर सुधार पर चर्चा ➢ ग्रेडिग की समीक्षा ➢ एनएचडी पर पंचायत की भागीदारी पर चर्चा ➢ मातृ सहयोगिनी की बैठक प्रभावी बनाने पर चर्चा	❖ केन्द्रों में 80 प्रतिशत उपस्थिति की सुनिश्चितता। ए.पी. ओ/सी.डी.पी.ओ. मानदेय काटने का निर्णय। ❖ रिकार्डो का ए.एन.एम के साथ मिलान करने का निर्णय। ❖ आं. केन्द्र बंद रखने के पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने का निर्णय। ❖ चौली केन्द्र की भांति किचिन गार्डन तैयार करने का निर्णय ❖ संयुक्त गृहभेंट करने का निर्णय ❖ कार्यकर्ता को दस्तावेज पूर्ण करने का निर्णय। ❖ विधि प्रदर्शन करने का निर्णय। ❖ पंचायत के साथ बातचीत करने का निर्णय।

8.	बाबली वि. –लखनादौन	➢ बाबली, सुक्कम, केवलारी, गरधरिया में रिकार्ड अपूर्ण मिलना। ➢ बाबली, निधानी, लालपुर, पलटवाड़ा में केन्द्र बंद मिलना। ➢ सेक्टर बैठक में रिकार्ड लाना और ए.एन.एम मिलान करना। ➢ केवलारी सुक्कम में आई.ई.सी का प्रदर्शन। ➢ पोषण स्वास्थ्य दिवस पर सही समय में उपस्थित होना। ➢ केन्द्र सही समय में खोलना और 02 बजे बंद करने पर चर्चा। ➢ किचिन गार्डन तैयार करने पर चर्चा	❖ रिकार्ड जल्द से जल्द पूर्ण न करने पर सुपरवाईजर द्वारा कार्यवाही करने का निर्णय। ❖ बंद मिले केन्द्रों की कार्यकर्ता का नियमिल केन्द्र खोलना और उपस्थित रहने का निर्णय। ❖ स्वास्थ्य सुपरवाईजर व महिला बाल विकास सुपरवाईजर द्वारा संयुक्त गृहभेंट करने का निर्णय।
9.	नागनदेवरी वि. –लखनादौन	➢ अच्छे केन्द्र चौकी का उदाहरण रखा गया। ➢ कोहका, पलटवाडा निधानी डोगरगांव के केन्द्रों का बंद मिलना। ➢ आई.इ.सी सामग्री का उपयोग न होना। ➢ व्यवहारों की स्थिति पर चर्चा । घुट्टी जायफल गुरार मोहगांव, डोंगरगांव में दिया जाना। ➢ आं. कार्यकर्ता द्वारा गृहभेंट न करना। डोगरगांव, कोहका मोहगांव । ➢ ए.एन.एम का टीकाकरण के दिन सही समय में न पहूँचना डोगरगांव, सुक्कम निधानी ➢ डोंगरगांव मोहगांव में नवाचार का आयोजन न होना। ➢ छोटी आयरन के उपयोग पर चर्चा। ➢ आंग.कार्य की गृहभेंट पर चर्चा ➢ ग्रेडिग की समीक्षा ➢ रिकार्ड संधारण पर चर्चा	❖ बंद मिले केन्द्रों से स्पष्टीकरण लेने की बात की गई। ❖ सुपरवाईजर और ए.पी.ओ के द्वारा निर्णय लिया गया कि सभी केन्द्रों में आई.ई.सी मटेरियल डिसप्ले किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। ❖ बाल संजीवनी के दौरान सभी छोटे बच्चों को आयरन वितरित की जायेगी ❖ गृहभेंट प्रभावी और नियमित न होने पर मानदेय काटने की बात की गई। ❖ नवाचार न होने पर भुगतान रोकने का निर्णय ❖ जीवन की आशा के साथ गृहभेंट प्रभावी बनाने का निर्णय। ❖ बन्द मिले केन्द्रों के 40 प्रति. भुगतान काटने का निर्णय

12.	बीबी वि.–लखनादौन	➢ केन्द्र नवलगांव 2 दिनों तक बंद पाया जाना। ➢ आ.कार्य द्वारा केन्द्र का संचालन नियमित गृहभेंट न करना, पोषण आहार न बांटना। ➢ देवरी में बच्चों की उपस्थिति निरंक पाया जाना। ➢ आई.ई.सी का उपयोग न होना। ➢ रहली कार्यकर्ता द्वारा बच्चों की उपस्थिति पर ध्यान न देना।	❖ पर्यवेक्षक द्वारा निर्णय लिया गया कि नवलगांव कार्यकर्ता द्वारा स्पष्टीकरण लिया जायेगा। सी.डी.पी. ओ को इस संबंध मे पत्र लिखा जायेगा। मानदेय काटा जायेगा। ❖ देवरी कार्यकर्ता को निर्देशित किया जायेगा। ❖ रहली कार्यकर्ता का 40 प्रतिशत वेतन काटना व कार्यवाही हेतु निर्देशित करना।
13.	मडई वि.–लखनादौन	➢ आ.केन्द्र गंधीला में प्रचार सामग्री का उपयोग उपस्थिती 82 प्रतिशत से अधिक, गर्भवती द्वारा प्रसव किट तैयार। ➢ गंधीला में 24.10.05 के बाद टीकाकरण निश्चित न होना। कार्य. द्वारा कराया जाना ➢ मडई में उपस्थिति कम मिलना, रिकार्ड अपडेट न होना। ➢ सेक्टर बैठक निश्चित स्थान पर न होना कार्यकर्ता द्वारा पर्यवेक्षक अनुसार न पहूॅचना। ➢ केन्द्रनुसार ग्रेड की जानकारी दी गई। ➢ बगलई में आहार प्रदर्शन उपरांत आये परिवर्तन पर चर्चा। ➢ मडई भरदा पहाडी आं.केन्द्रों सी ग्रेड कार्यकर्ता द्वारा केन्द्रों के संचालन व सुधार पर चर्चा।	❖ आ.केन्द्र गंधीला अनुसार अन्य केन्द्रों के निर्माण का निर्णय। ❖ मडई कार्यकर्ता को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। ❖ पहाड़ी कार्यकर्ता को वेतन काटने हेतु निर्देशित करना एवं केन्द्र संचालन में लापरवाही करने पर सी.डी.पी.ओ द्वारा केन्द्र भ्रमण करने की बात की गई। ❖ सी ग्रेड कार्यकर्ता द्वारा ए ग्रेड में आने के लिये प्रयास करने का निर्णय लिया गया।

10.	धनककड़ी वि.–लखनादौन	➢ विषय जोकि निर्धारित था वह लिया गया। ➢ व्यवहारों के पालन पर चर्चा की गई। ➢ आई.ई.सी. मटेरियल डिसप्ले करने की बात की गई। ➢ नवाचार गुणवत्तापूर्ण करने की बात गई। ➢ आं. कार्यकर्ता और ए.एन.एम की संयुक्त भ्रमण पर चर्चा की गई।	❖ कार्यकर्ता द्वारा समझाईश के दौरान आदर्श व्यवहारों के पालन पर चर्चा करने का निर्णय लिया गया। ❖ नवाचार गुणवत्तापूर्ण आयोजित करने का निर्णय लिया गया। ❖ सुपरवाईजर द्वारा कहा गया कि यदि गुणवत्ता पूर्ण नवाचार नहीं होते हैं तो राशि आहरण कार्यकर्ता को नहीं दिया जायेगा। ❖ आई.ई.सी. डिसप्ले करने का निर्णय लिया गया। ❖ आंगनवाडी कार्यकर्ता व ए.एन.एम का संयुक्त भ्रमण किया जायेगा।
11.	सिहोरा वि.–लखनादौन	➢ एक्सपाईरीडेट वाली दवाईयों का आं.केन्द्र में होना। ➢ आई.ई.सी मटेरियल का उपयोग न होना। ➢ छोटी आयरन के उपयोग पर चर्चा। ➢ व्यवहारों के पालन पर चर्चा। ➢ रिकार्ड लेकर सेक्टर बैठक पर आने की चर्चा। ➢ मंगलदिवस के आयोजन पर चर्चा। ➢ छोटी आयरन के उपयोग पर चर्चा। ➢ आंग.कार्य की गृहभेंट पर चर्चा ➢ ग्रेडिग की समीक्षा ➢ रिकार्ड संधारण पर चर्चा	❖ प्रत्येक माह मेडिसिन चेक की जायेगी। ❖ चार्ट पोस्टर का उपयोग किया जायेगा। ❖ छोटी आयरन का उपयोग कार्यकर्ताओं द्वारा किया जायेगा। ❖ छोटी आयरन के उपयोग करने का निर्णय ❖ नवाचार न होने पर भुगतान रोकने का निर्णय । ❖ जीवन की आशा के साथ गृहभेंट प्रभावी बनाने का निर्णय। ❖ बन्द मिले केन्द्रों के 40 प्रति. भुगतान काटने का निर्णय

14	सिरमंगनी,परासिया वि.–लखनादौन	➢ ग्रेडिग की जानकारी दी गई। ➢ हिनौतिया 123 सुरहई में निश्चित दिन टीकाकरण न होना। ➢ एएनसी न होना सुहागपुर12, डाला , सिहोरा, भरगा कोंडरा ज्वारा12 ➢ चिपकना भंडारदेव परासिया में सुपोशण स्तर में व केन्द्र संचालन में सुधार।	❖ ग्रेडिग के अनुसार सुधार करने का निर्णय। ❖ एएनसी न होने वाले केन्द्रों में एएनएम के द्वारा दो माह में एक बार एमपीडब्ल्यू के साथ जाने की बात।
15.	सनाईडोगरी वि.–लखनादौन	➢ केन्द्रनुसार ग्रेड की जानकारी दी गई। ➢ सीडीपीओ के द्वारा एक माह में सुधार ग्रेड अनुसार करने को कहा गया। ➢ खडसी उकारपार टीकाकरण न होना। ➢ उकारपार में समया पर न खुलने, पोशणआहार मीनू चार्ट के आधार पर व्यंजन व गृहभेंट न होने पर चर्चा।	❖ सी ग्रेड कार्यकर्ता द्वारा ए ग्रेड में आने के लिये प्रयास करने का निर्णय लिया गया। ❖ खडसी उकारपार धनककडीरैयत कार्यकर्ता द्वारा अनियमितता बरतने पर सीडीपीओ द्वारा कार्यवाही करने का निर्णय।
16.	मढ़ी लखनादौन	➢ घाघरा मोचीपका करनकोल छूटे हुये रिकार्डो का संधारण पर चर्चा। ➢ अनाज किट बनाने पर चर्चा। ➢ प्रसव पूर्व जांच 8 केंद्रों पर न होने पर चर्चा। ➢ करनकोल में 1 वर्श से टीकाकरण न होने पर चर्चा।	❖ घाघरा मोचीपका करनकोल छूटे हुये रिकार्डो का संधारण कर अगली बैठक में दिखाने का निर्णय। ❖ अनाज किट बनाकर लाकर दिखाने का निर्णय।
17.	गनेशगंज लखनादौन	➢ छोटी आयरन के उपयोग पर चर्चा ➢ गृहभेंट तथा रिकार्ड संधारण पर चर्चा ➢ आशा की उपस्थिति पर चर्चा। ➢ आई.ईसी का उपयोग टिग्गीटोला बाम्हनवाडा न होना।	❖ आशा की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। ❖ छोटी आयरन का उपयोग नियमित करने का निर्णय लिया गया।
18.	लखनादौन	➢ ग्रेडिग की समीक्षा। ➢ बीएलएसी के निर्णयों की समीक्षा ➢ प्रसवयोजना पर चर्चा	❖ ग्रेडिग के आधार पर सुधार करने का निर्णय। ❖ सुपरवाईजर द्वारा निर्णय कि यदि मंगलदिवस गुणवत्ता पूर्ण नही होता है, आईईसी का डिस्प्ले नहीं तो कार्यवाही ।

विकासखंड स्तरीय बैठक में चर्चा के बिन्दु और निर्णय

क.	वि.खंड	चर्चा के बिन्दु	लिये गये निर्णय
1.	छपारा	• निवारी में टीकाकरण नियमित होना एवं जांच होना। • बैरढाना में परिवार नियोजन में अस्थाई साधन न होना, हितग्राहियों को जानकारी न होना। • बैरढाना में द्वितीय मंगलवार को ए.एन. एम का न पहूँचना। • बैरढाना में बी.सी.जी के 03 एवं खसरा के 02 बच्चे। • तृतीय मंगलवार को ताखला में टीका न होना • बबैया में पोषण आहार न बनना। • चमारी एवं गौरखपुर में सामान्य ग्रेड में 07 प्रतिशत की कमी। • अप्रेल माह में स्वास्थ्य विभाग भीमगढ़ सेक्टर में न पहूंचना। • इमलिया में 4 गर्भवती की जांच न होना। • ए.एन.एम और एम.पी.डब्ल्यू का अभियान के दौरान भोरगढ़ न पहूँचना। • बेखंद में 6 माह से छोटी आयरन न होना। • सर्रा में समयानुसारे टीकाकरण न होना। • बिलक्टा में अभियान के दौरान छोटी आयरन न पहूँचना। • तुल्फ और बैरढाना में गर्भवती महि. की जांच न होना। • सुकरी में एन.एच.डी के दौरान पोषण आहार का वितरण न होना। • लकवाह मे टीकाकरण नियमित है। • बडपानी में एएनएम का समय से पहूँचना व टोले के बच्चों को शामिल करना। • छपारा वि.खंड 12 बालसंजीवनी में 4. 06 की वृदिध सामान्य ग्रेड में होना। • विटामिन का कवरेज 90 प्रतिशत रहा। • नाकाटोला में दिसंबर 2008 से न पहूँचना। • मोहली में 1 मंगलवार को टीकारण न होना । • प्रतिशत के आधार पर व्यवहारों का प्रस्तुतीकरण। • सेक्टर देवरीकला में हेल्थ से कोई न पहूँचना। • मंडवा में 2 माह से टीकाकरण न होना। • एनएचडी माह मई 79 प्रति. होना। • टीटी की उपलब्धता पर चर्चा।	▪ विटामिन ''ए'' लेकर जाना। ▪ साल्टर मशीन से वजन तौलना। ▪ बबैया में जांच एवं टीकाकरण। ▪ नियमित जांच करवाने का निर्णय। ▪ ए.टी.पी के आधार पर भ्रमण सुनिश्चित करना। ▪ टीकाकरण के दिन सभी जांच करना। ▪ 1 बच्चा भी हो तो भी बी.सी.जी ले जाना। ▪ ग्राम में भ्रमण के दिन लिखना। ▪ मंगलवार को एएनएम न पहूँचने पर कार्यवाही ▪ ग्राम स्व्छता समिति के खाते से टी.टी साल्टर मशीन व अन्य साम्रगियां खरीदने का निर्णय। ▪ एएनएम व एमपीडब्ल्यु का 9 से 5 बजे तक केन्द्र में रहने का निर्णय लिया गया। ▪ बीएलएसी में स्वा.विभाग के अधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया कि अनुपस्थित कार्यकर्ता पर कार्यवाही की जायेगी। ▪ ब्लाक स्तर पर टी.टी रोगी कल्याण समिति से खरीदकर एएनएम को उपलब्ध कराने का निर्णय।

2.	लखनादौन	• नया रोस्टर अनुसार कार्य न होना • सनाईडोंगरी के जोबा के 03 केन्द्र 123 खैरनरा के 02 केन्द्र में एकसाथ टीकाकरण होना। • लखनादौन वार्ड 10 और 12 में आज दिनांक तक टीकाकरण न होना। • ए.एन .एम के अभाव में गणेशगंज जोगीगुफा में पेट के जांच, बी.पी न होना। • अनुपस्थिति कम मिलना। लालपुर तालका निधानी बाबली बैगापिपरिया। • दलनेता के गठन के लिये चर्चा • कार्यकर्ता और ए.एन.एम की ग्रहभेंट पर चर्चा और कार्ययोजना तैयार करना। • गुरारपट्टी पर 1 वर्श ये टीकाकरण न होना। पोषण आहार का वितरण न होना। • गत् 1 वर्श से ए.एन.सी न होना मरहेटी, जोगीसुफा भजिया,बटका, साजपानी • सेक्टर बैठक में आशा कार्यकर्ता की उपस्थिति। • एन.एच.डी में आशा कार्यकर्ता का सहयोग। • छोटी आयरन का उपयोग न होना। • ए.एन.एम/एम.पी.डब्ल्यू का सही समय पर ना पहूँचना। • हेल्थ/आई.सी.डी.एस का सयुक्त भ्रमण न होना। • आं.कार्य. और ए.एन.एम का संयुक्त भ्रमण न होना। • सिहोरा सेक्टर के 8 केन्द्रों मे ंटीकाकरण निश्चित दिन की बजाय दूसरे दिन होना। • विटामिन ए न मिलना। • बाल संजीवनी में वैक्सीन लेकर एएनएम का न जाना। नागदहार • केन्द्र बन्द मिलना।	▪ उपस्थिती के कम पाये जाने पर मानदेय काटने का निर्णय। ▪ दलनेता के चुनाव में कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त होगा। ▪ गुरारपट्टी में प्रत्येक माह टीकाकरण कराने का निर्णय ▪ पोषण आहार के संबंध में गुरारपट्टी में सूखा राहत योजना के तहत पहूँचवाने का निर्णय ▪ ऐसे केन्द्र जहाॅ गृहभेंट नहीं की जा रहीं उन्हें चिन्हित कर गृहभेंट सुनिश्चित कराई जायेगी। ▪ आशा कार्यकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जायेगी। ▪ बच्चों की उपस्थिति कम पाये जाने पर कार्य.व सहायिका का मानदेय काटा जायेगा। ▪ ए.एन.एम के समय के अनुसार पहूँचने के निर्देश दिये जायेंगें। ▪ सी.डी.पी.ओ द्वारा अचानक भ्रमण कर कार्यवाही की जायेगी। ▪ विटामिन ए न मिलने वाले केन्द्रों में पहूँचाने की जिम्मेदारी बी.ई.ई द्वारा ली गई। ▪ हेल्थ और आईसीडीएस का संयुकत भ्रमण का निर्णय। ▪ गोरखपुर खमरिया सेक्शन में टीकाकरण एएनसी हेतु चलित अस्पताल के द्वारा सेवा देने का निर्णय।

जिला स्तर डी.एल.ए.सी पर चर्चाएं :–

अप्रैल माह से जून माह के तिमाही चरण में जिला स्तरीय बैठकें केवल 2 संपादित हुई। बैठकों के दौरान की गई चर्चा व निर्णय निम्नानुसार हैः–

- कलेक्टर महोदय के द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जैसे जननी सुरक्षा योजना प्रसव परिवहन योजना, लाड़ली लक्ष्मी बाई योजना के अंतर्गत किये गये कार्यों की समीक्षा की गई।
- महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किये जाने वाले भ्रमण की समीक्षा की गई।
- आंगनवाड़ी की स्थितियों में सुधार लाने के लिये और उपस्थिती बढ़ाने के लिये कहा गया।
- प्रोजेक्ट चिरंजीव की प्रोग्रेस मांगी गई।
- बाल संजीवनी अभियान व्यवस्थित रूप से किये जाने को कहा गया।
- आंगनवाड़ी केंन्द्र में बच्चों की उपस्थिति 60 प्रतिशत से कम होने पर 40 प्रतिशत मानदेय काटने को कहा गया।
- सुपर वाईजर, सी.डी.पी.ओ, स्वास्थ्य विभाग के भ्रमण पूर्ण न होने पर 40 प्रतिशत मानदेय काटने को कहा।
- ब्लाक लखनादौन में ए.एन.एम के अभाव में प्रभावित केन्द्रों में ए.एन.एम की पदस्थापना के लिये कहा गया।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र निरीक्षण के संबंध में निरीक्षण गुणवत्ता में सुधार लाने एवं बेहतर परिणाम लाने के लिये आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये।
- बारहवां बाल संजीवनी अभियान अभी चल रहा है इसकी समीक्षा पृथक से की जावेगी। अतः सभी बाल विकास परि. अधि. अभियान की समीक्षा हेतु समस्त प्रपत्र व रिपोर्टिंग अघतन करें।
- लाड़ली लक्ष्मी योजना योजनान्तर्गत कम प्रगति वाली पर्यवेक्षकों को कारण बताओ सूचना प्त्र जारी किये गये थे । जिन पर्यवेक्षकों द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये गये हैं उनहे शीध्र जवाब प्रस्तुत करने के लिये बाल विकास परियोजना अधिकारियों का निर्देशित किया गया ताकि उनके प्रकरणों पर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।
- बाल शक्ति योजना/पोषण पुर्नवास केन्द्र पर रात्रि कालीन किसी की डयूटभ् नहीं होती इस हेतू एएनएम की नियुक्त की जानी चाहिये यह जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास द्वारा बताया गया।

निर्णय :–

- सुपरवाईजर व सी.डी.पी.ओ को निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार कार्य न पाये जाने पर मानदेय काटने का निर्णय दिया।
- सुपरवाईजर को निर्देशित किया कि जिन आंग.केन्द्रों पर 60 प्रतिशत से कम उपस्थिती होती है तो कार्यकर्ता का 40 प्रतिशत मानदेय काटा जाये। व सुचना प्रेषित की जाये।
- प्रोजक्ट चिरंजीव को विकासखंड केवलारी व घन्सौर में स्थापित कर, उद्देश्यों को प्राप्त करने का निर्णय दिया गया।
- बाल संजीवनी अभियान के अंतर्गत साल्टर मशीन के उपयोग का निर्णय व जन्म के आधार पर वजनतालिका संधारित की जाये।
- ब्लाक लखनादौन में ए.एन.एम के अभाव में प्रभावित केन्द्रों में ए.एन.एम की पदस्थापना का निर्णय दिया गया।
- लाड़ली लक्ष्मी योजना योजनान्तर्गत कम प्रगति वाली पर्यवेक्षकों को कारण बताओ सूचना प्त्र जारी किये गये थे । जिन पर्यवेक्षकों द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये गये हैं उनहे शीध्र जवाब प्रस्तुत करने का निर्णय दिया गया।
- सी.डी.पी.ओ को निर्देशित किया कि कुपोषित बच्चों को पोशण पुर्नवास केन्द्र का लाभ दिलाये, व समीक्षा करें।

महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय के बिन्दु

महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के समक्ष अनुभवों को रखा गया जोकि भ्रमण के दौरान प्राप्त हुये। इन अनुभवों कहां सुधार और अच्छाईयां हैं इस पर बात की गई।

विकासखंड :– छपारा

क.	स्वास्थ्य विभाग	क.	महिला बाल विकास
1.	मुर्गीटोला में खसरा के 02 बच्चे बी.सी.जी के 06 बच्चे एवं 02 टी.टी.की महिला।	1.	अंजनिया में 3 से 6 के 36 बच्चे होना और 09 बच्चे उपस्थित होना।
2.	अप्रैल माह में ताखला, पहाड़ी टोला में टीकाकरण न होना।	2.	बबैया 09.30 पर केन्द्र बंद मिला एवं सहायिका अनुपस्थित। पोषण आहार नहीं बना।
3.	बबैया में 05 गर्भवती का टी.टी और जांच से वंचित। और 02 बच्चे खसरा के टीके से वंचित।	3.	तेंदनीटोला के 30 बच्चे सेवाओं से वंचित
4.	बैरढ़ाना में खसरा के 04 बच्चे।	4.	केन्द्र बैरढाना बंद मिलना, एक बच्चे का भी उपस्थित न होना।
5.	ताखला में किसी भी हितग्राही के पास कार्ड का न होना।	5.	माल्हनवाड़ा केन्द्र बंद मिलना, बच्चों की उपस्थिति न होना।
6.	जूनापानी में ए.एन.एम द्वारा पर्याप्त समय न देना।	6.	माल्हनवाड़ा में उपस्थिती पंजी 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नहीं भरी गई।
7.	ए.एन.एम द्वारा गृहभेंट न करना।	7.	बैरढ़ाना, ताखला में गृहभेंट पंजी न भरना।
8.	बैरढाना में दूसरे मंगलवार को ए.एन.एम का न पहूॅचना। भोरढाना में अभियान के दौरान ए.एन.एम, एम.पी.डब्ल्यू न पहूंचना।	8.	ढुढई ,पिण्डरई केन्द्र का बंद मिलना। प्रसव योजना यहां न मिलना।
9.	बैरबंद, सर्रा में नियमित टीकाकरण न होना।	9.	पिण्डरई में ही गर्भवती को पोशण आहार का न मिलना
10.	तुल्फ रै. में गर्भवती महिलाओं की जांच न होना।	10.	सिवनी टोला में हितग्राहियों को कार्ड न मिलना।
11.	सालीवाह में ए.एन.एम 12 बजे पहूॅची।	11.	21.04.08 से उपस्थिती पंजी न भरा जाना, वृध्दि चार्ट 2002 से न भरना सुकरी केन्द्र
12	इमलिया में गर्भवती की जांच न होना।	12	इमलिया, कमली में कार्यकर्ता की अनुपस्थिति।
13.	खैरमटाकोल में गर्भवतियों की जांच न होना।	13.	खैरमटाकोल में सभी रिकार्ड अच्छे पाये जाना, गोदभराई न होना।
14.	महुआटोला में खसरा के 2 बच्चे वंचित	14.	पहाडी में रिकार्ड अपूर्ण पाये जाना।
15.	पहाड़ी में खसरा बीसीजी टीटी से वंचित होना	15.	गृहभेंट पर विशेष घ्यानाकर्षण करना।
16.	एएनएम और एमपीडब्ल्यू का ग्रहभेंट न करना	16.	पायसी के 30 बच्चे गर्भवती धात्री आईसीडीएस की सेवाओं से वंचित होना।
17.	ढोडा मे नियमित टीकाकरण न होना।	17.	ढोडा केन्द्र बन्द मिलना

विकासखंड :— लखनादौन

क.	स्वास्थ्य विभाग	क.	महिला बाल विकास
1.	सेक्टर नागरदेवरी के केन्द्र गुरार में नियमित टीकाकरण का ना होना और 18 बच्चों का इससे वंचित होना।	1.	केन्द्रों मे बच्चों की उपस्थिति कम पाई जाना।
2.	गुरार पट्टी में 1 वर्ष से टीकाकरण और प्रसव पूर्व जांच न होना।	2.	ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू की गृहभेंट न करना।
3.	सेक्टर लखनादौन , समनापुर में 4 माह से बी.पी. जांच न होना।	3.	रिकार्ड अपूर्ण मिलना और सेक्टर बैठक में रिकार्डो को लाकर मिलान करना।
4.	भजिया में 4 माह से टीकाकरण व प्रसव पूर्व जांच न होना।	4.	गुरार में 1 वर्श से से पोशण का वितरण न होना।
5	बाल संजीवनी अभियान पर एएनएम का वैक्सीन लेकर केन्द्र पर न पहूँचना। नागदहार।	5	केन्द्रों मे नवाचार का आयोजन न होना।
6.	निश्चित दिन पर टीकाकरण का ना होना दरगहा खैरनरा घोघरी, डुंगरिया।	6.	केन्द्र बंद मिलना डोगरगांव कोहका, निधानी लालपुर
7.	1 वर्श से बी.पी.जांच न होना। मुण्डा	7.	आई.ई.सी सामग्री का उपयोग न होना। थांवरी लोंदा मोहगांव खुर्द
8.	टीकाकरण के दिन पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी चर्चा ना होना।	8.	कार्यकर्ता द्वारा गृहभेंट न करना। थांवरी, मुण्डा, जमुनिया
9.	ए.एन.एम द्वारा गृहभेंट न होना	9.	उपस्थिती कम होना डोगरगांव थावरी
10.	मेडिसिन न होना। खैरनरा जमुनिया, पलटवाड़ा, मोहगांव खुर्द, करकवाड़ा, लोंदा, राना।	10.	रिकार्ड अपूर्ण होना थावरी, डोगरगांव
11.	करछुआई 12 वें अभियान में विटामिल ए नहीं मिला।	11.	उपस्थिति कम मडई, गडियाटोला, देवरी लालपुर वार्ड क. 10 लखनादौन।
12.	बिछुआ बड़ा में 11 वें एवं 12 वें अभियान दोनों में अभी तक विटामिन ए नहीं मिला।	12.	कार्यकर्ता द्वारा केन्द्र संचालन में ध्यान न देना। नवलगांव देवरी मडई पहाड़ी वार्ड क. 10 लखनादौन
13.	पिंडरई बिछुआ अटारी सत्ती कछार हमीरगढ़ करछुआई में एम.पी.डब्ल्यू होने से पेट जांच न होना।	13.	लालपुर बीवी देवरी में आज भी घुट्टी पानी दिया जा रहा है।
14.	डुंगरहाटोला, सतवाराटोला करनकोल गोटीटोला छाता में टीकाकरण न होना।	14.	गर्भवती/धात्री को गृहभेंट में न जोड़ना गृहभेंट न देना।
15.	लालपुर में मार्च के बाद टीकाकरण न होना अभियान के दिन स्वास्थ्य विभाग का न पहूँचना।	15.	व्यवहारों की समझाईश न देना। देवरी लालपुर गडियाटोला मो.काछी नवलगांव वार्ड क.
16.	गो.खमरिया में टीम द्वारा टीकाकरण हुआ किंतु टीटी की व्यवस्था नहीं रही।	16.	केन्द्र खाम्हा सुकवाह पट्टीटोला बंद मिलना।
17.	पानदेवरी सेक्टर में एएनएम मालती दीक्षित द्वारा टीकाकरण न किये जाने पर चर्चा	17.	नवाचार का आयोजन योजनानुसार न होना।
18.	उकारपार खसरा के 19 बच्चे वंचित होना।	18.	रिकार्ड अपूर्ण मिलना घारपाठा, बरबटी, पुनवारा खडसी उकारपार मोची पठार ।
19.	खडसी के 03 घनककडी रैयत 03 बच्चों का टीकाकरण न होना।	19.	आग.कार्यकर्ता द्वारा गृहभेंट में जीवन की आशा का प्रयोग न होना।
20.	गो.खमरिया में टीम द्वारा टीकाकरण हुआ किंतु टीटी की व्यवस्था नहीं रही।	20.	केन्द्र खाम्हा सुकवाह पट्टीटोला बंद मिलना।
21.	पानदेवरी सेक्टर में एएनएम मालती दीक्षित द्वारा टीकाकरण न किये जाने पर चर्चा	21.	नवाचार का आयोजन योजनानुसार न होना।
22.	उकारपार खसरा के 19 बच्चे वंचित होना।	22.	रिकार्ड अपूर्ण मिलना घारपाठा, बरबटी, पुनवारा खडसी उकारपार मोची पठार ।
23.	खडसी के 03 घनककडी रैयत 03 बच्चों का टीकाकरण न होना।	23.	आग.कार्यकर्ता द्वारा गृहभेंट में जीवन की आशा का प्रयोग न होना।

ग्रामसभा :–

माह अप्रैल मई जून के दौरान के ग्रामसभाओं का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य रूप से पंचायत के द्वारा आंगनवाड़ी से मिलने वाली सेवाओं की निगरानी, पोषण एवं स्वास्थ्य और पंचायत स्तर पर कुपोषण की स्थिति पर बात की गई। जिसमें बताया गया कि कुपोषित होने से हम बच्चों को किस तरह बचा सकते हैं और इसी के साथ ही साथ वे बच्चे जो कि सामान्य ग्रेड में नहीं हैं उनके खानपान में ध्यान देकर सामान्य ग्रेड में लाया जा सकता है।

मुख्य रूप से पंचायत व ग्राम सभा में स्वास्थ्य के मुद्दे के प्रति संवेदनशीलता लाने हेतु ग्रामसभाओं का आयोजन किया गया। इस दौरान वे मुख्य मुद्दे जिन पर चर्चाएं हुईं वे निम्नानुसार हैं :–

क्र.	पंचायत /वि.खंड	चर्चाएं	निर्णय
1.	खुर्शीपार/ छपारा	❖ सामान्य ग्रेड का प्रतिशत 47 है। ❖ तृतीय ग्रेड में आने वाले बच्चे 03 हैं जिनकी जानकारी सरपंच को है। ❖ संस्थागत् प्रसव में सहयोग अच्छा है। ❖ मॉडल पंचायत पर चर्चा ❖ मंगल दिवस पर पंचायत की उपस्थिती ❖ टीकाकरण की जानकारी। ❖ मातृ सहयोगिनी समिति की जानकारी पंचायत का नहीं।	➢ मंगल दिवस में सरपंच श्रीमति रामबाई धुर्वे नियमित उपस्थित होंगी। ➢ मातृ सहयोगिनी समिति का पुनः चुनाव 05 को।
2.	सरंडिया/ छपारा	❖ सामान्य ग्रेड 59 प्रतिशत है, इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिये प्रयास करना। ❖ मंगल दिवस में पंचायत की उपस्थिति। ❖ आं.कार्यकर्ता का नियमित उपस्थित न होना। ❖ पोषण आहार समय पर न बनना एवं गुणवत्तापूर्ण न होना। ❖ अनौपचारिक शिक्षा न देना। ❖ मातृ सहयोगिनी समिति की जानकारी पंचायत को नहीं। ❖ मॉडल पंचायत के लिये चर्चा ❖ आदर्श व्यवहार पर चर्चा।	➢ मंगल दिवस में श्री चंदर सिंह उप सरपंच की उपस्थिति नियमित होगी। ➢ मातृ सहयोगिनी समिति के गठन का निर्णय।
3.	बिलक्टा /छपारा	❖ सामान्य ग्रेड का प्रतिशत 62 है। ❖ प्रथम द्वितीय तृतीय ग्रेड में आने वाले बच्चे 31 बच्चों को सरपंच द्वारा पोष्टिक सत्तू वितरण हैं । ❖ छोटी आयरन अभियान के दौरान न पहूँचना। ❖ मॉडल पंचायत पर चर्चा ❖ महिलाएं व समुदाय सेवाओं के प्रति जागरूक हों। ❖ बच्चों का टीकाकरण समय पर न होना। ❖ मातृ सहयोगिनी समिति की पहचान ग्रामसभा में कराई गई। ❖ निगरानी समिति बनाई गई।	➢ किचन गार्डन बनाने का निर्णय ➢ निगरानी समिति बनाई गई प्रत्येक सोमवार को गृहभेंट देकर ग्रेड में सुधार हेतु प्रयास करेंगे। ➢ सचिव द्वारा कुर्सी देने व बैठने की व्यवस्था करने का निर्णय।
4.	भरदा/ लखनादौन	❖ आ.केन्द्र में बच्चों की उप. 60 प्रति. से कम। ❖ सुपोषण का स्तर 44 प्रति. होना। ❖ जीवन की आशा का प्रदर्शन न होना। ❖ साल्टर मशीन हेतु चर्चा। ❖ प्रथम ग्रेड के बच्चों को सामान्य में लाने हेतु प्रयास।	➢ आ.केन्द्र में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने हेतु वार्ड पंचों को सुझाव एवं जिम्मेदारी ➢ साल्टर मशीन आवेदन पत्र प्राप्त कर देने का निर्णय ➢ मंगल दिवस में प्रतिनिधियों की उपस्थिती रहेगी।
5.	नागदहार/ लखनादौन	❖ कुपोशण पर चर्चा। ❖ सुपोशण का स्तर 37 प्रति. ❖ आदर्श व्यवहार का पालन ❖ मंगल दिवस में पंचायत की भागीदारी ❖ सुरक्षित और संस्थागत प्रसव ❖ सम्पूर्ण स्तनपान नवजात की देखभाल	➢ कुपोषण कम करने के सारे सुझावों को अपनाने का निर्णय ➢ साल्टर मशीन एक माह के अंदर देने का निर्णय ➢ सुरक्षित प्रसव करवाने का निर्णय ➢ पंचायत की भागीदारी सुनिश्चित।

पंचायत बैठक :–

संस्था कार्यकर्ताओं के द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सरपंच, उपसरपंच व पंच उपस्थित रहे। मुख्य रूप से इस बैठक का का आयोजन ग्राम स्तरीय संस्था आंगनबाड़ी को लेकर किया गया जिसके प्रति सोच व मानसिकता बनाने की आवश्यकता देखी जा रही है।

क.	पंचायत /वि.खंड	चर्चा के मुख्य बिन्दु	निर्णय
1.	तेंदनी /छपारा	❖ सामान्य ग्रेड 53 प्रतिशत होना। ❖ कमलेश के परिवार के बच्चे केन्द्र में न आना। ❖ तेंदनीटोला में मंगलदिवस न होना। ❖ मंगल दिवस में उपस्थिती की स्थिति। ❖ मातृ सहयोगिनी समिति का सहयोग एवं पहचान। ❖ लाड़ली लक्ष्मी योजनान्तर्गत लाभ लेने की पात्रता के लिये 03 केस। ❖ प्रसव योजना।	➢ तेंदनीटोला के बच्चों का मंगलदिवस में शमिल किया जायेगा। ➢ मंगलदिवस में सरपंच श्रीमति इन्द्रा बाई उइके की उपस्थिती रहेगी।
2.	गुरार/ लखनादौन	❖ आदर्श व्यवहारों पर चर्चा। घुट्टी, जायफल, नाल पर किरकिरा लगाना। ❖ कार्यकर्ता के नियमित केन्द्र न आने पर चर्चा। ❖ गुरारपट्टी, गुरार पर छः माह से बच्चों का टीकाकरण न होना। ❖ गुरार में छ माह से पोशण आहार का वितरण न होना। ❖ गुणवत्तापूर्ण मंगलदिवस न मनाना।	➢ कार्यकर्ता के नियमित न आने पर कार्यवाही करने का निर्णय। ➢ छः माह से टीकाकरण न होने से ग्रामसभा में प्रस्ताव बनाकर बी.एम.ओ को पत्र लिखने का निर्णय। ➢ मंगल दिवस नियत दिवस मनाने तथा पंचायत की भागीदारी का निर्णय।
3.	सर्रा /छपारा	❖ रज्जो/ध्याना गर्भवती का टीकाकरण न होना। ❖ अक्टूबर के बाद ए.एन.एम का न पहूँचना। ❖ अप्रैल में टीकाकरण न होना ❖ मंगल दिवस का आयोजन नियमित न होना।	➢ बी.एम.ओ. को सरपंच द्वारा पोस्ट कार्ड के माध्यम से अवगत कराये जाने का निर्णय। ➢ मंगल दिवस में नियमित भागीदारी लेने का निर्णय।
4.	पलटवाड़ा / लखनादौन	❖ टीकाकरण तथा मंगलदिवस पर चर्चा ❖ आं.कार्य. का नियमित केन्द्र पर उपस्थित न होने पर चर्चा। ❖ सुरक्षित प्रसव । ❖ बच्चों की उपस्थिती ❖ आदर्श व्यवहार पर चर्चा	➢ टीकाकरण और मंगलदिवस पर प्रतिनिधियों की उपस्थिति का निर्णय ➢ आ.कार्य. को नियमित केन्द्र पर न होने पर कार्यवाही करने का निर्णय
5.	सर्रा /छपारा	❖ रज्जो/ध्याना गर्भवती का टीकाकरण न होना। ❖ अक्टूबर के बाद ए.एन.एम का न पहूँचना। ❖ अप्रैल में टीकाकरण न होना ❖ मंगल दिवस का आयोजन नियमित न होना।	➢ बी.एम.ओ. को सरपंच द्वारा पोस्ट कार्ड के माध्यम से अवगत कराये जाने का निर्णय। ➢ मंगल दिवस में नियमित भागीदारी लेने का निर्णय।
6.	पलटवाड़ा / लखनादौन	❖ टीकाकरण तथा मंगलदिवस पर चर्चा ❖ आं.कार्य. का नियमित केन्द्र पर उपस्थित न होने पर चर्चा। ❖ सुरक्षित प्रसव । ❖ बच्चों की उपस्थिती ❖ आदर्श व्यवहार पर चर्चा	➢ टीकाकरण और मंगलदिवस पर प्रतिनिधियों की उपस्थिति का निर्णय ➢ आदर्श व्यवहारों को अपनाने का निर्णय

वार्ड सभा :—

क.	ग्राम /वि.खंड	चर्चा के मुख्य बिन्दु	निर्णय
1.	मरहेटी/ लखनादौन	❖ सामान्य बच्चों का प्रतिशत 12 है बताया गया। ❖ बच्चों को नियमित केन्द्र भेजने की बात की गई। ❖ टीकाकरण न होने पर चर्चा। ❖ गर्भवती महिलाओं की बी.पी जांच पेट की जांच न होना। ❖ आदर्श व्यवहारों पर चर्चा।	➢ वार्ड पंच जमना प्रसाद द्वारा बच्चों को सत्तु देने का निर्णय। ➢ बच्चों को रोज केन्द्र पर पहूॅचान और गर्भवती के पोशण आहार खाने पर वार्ड के निवासियों को समझाईश देने का निर्णय। ➢ आदर्श व्यवहारो के पालन का निर्णय।
2.	सूखामाल/ छपारा	❖ वार्ड में प्रथम के 8 दूसरे ग्रेड के 4 बच्चे होना। ❖ संतो□ा के यहां बालक 2 माह का टीकाकरण न कराना ❖ गर्भवती की जांच न होना। ❖ □ीघ्र पंजीयन न करना।	➢ मंगल दिवस में उपस्थित होने की पूनाराम भलावी द्वारा जिम्मेदारी ली गई। ➢ प्रथम द्वितीय ग्रेड के बच्चों के यहां नियमित गृहभेट करने पर निर्णय
3.	पहाड़ी/लख नादौन	❖ बच्चों की उप. बढाने पर चर्चा ❖ आदर्श व्यवहार का पालन न होना। ❖ बच्चों का केन्द्र में न जाना। ❖ वार्ड पंच के घर के हितग्राही द्वारा पोशण आहार न लेना।	➢ वार्ड पंच के माध्यम से उप. बढाने की बात। ➢ आदर्श व्यवहार पालन करने का निर्णय। ➢ बच्चों के केन्द्र में जाने की निगरानी।
4.	सूखामाल/ छपारा	❖ वार्ड में प्रथम के 8 दूसरे ग्रेड के 4 बच्चे होना। ❖ संतो□ा के यहां बालक 2 माह का टीकाकरण न कराना ❖ गर्भवती की जांच न होना। ❖ □ीघ्र पंजीयन न करना।	➢ मंगल दिवस में उपस्थित होने की पूनाराम भलावी द्वारा जिम्मेदारी ली गई। ➢ प्रथम द्वितीय ग्रेड के बच्चों के यहां नियमित गृहभेट करने पर निर्णय
5.	पहाड़ी	❖ बच्चों की उप. बढाने पर चर्चा ❖ आदर्श व्यवहार का पालन न होना। ❖ बच्चों का केन्द्र में न जाना। ❖ वार्ड पंच के घर के हितग्राही द्वारा पोशण आहार न लेना।	➢ वार्ड पंच के माध्यम से उप. बढाने की बात। ➢ आदर्श व्यवहार पालन करने का निर्णय। ➢ बच्चों के केन्द्र में जाने की निगरानी।

सचिव बैठक :–

तिमाही कार्य के दौरान सचिव बैठक केवल 01 ही सम्पन्न की जा सकी। बैठक के दौरान चर्चा व लिये गये निर्णय प्रस्तुत हैं।

चर्चा के मुख्य बिन्दु	निर्णय
❖ सभी केन्द्रों पर साल्टर मशीन उपलब्ध कराने पर चर्चा। ❖ केन्द्र बैगापिपरिया को नियमित सुधार पर चर्चा। ❖ ग्रामसभाओं में पोषण एवं स्वास्थ्य के विशय सम्मिलित करने पर चर्चा। ❖ ग्रामसभा की दिनांक ली गई।	➢ कार्यकर्ता द्वारा मांग पत्र प्राप्त कर सॉल्टर मशीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। ➢ ग्रामसभाओं में स्वास्थ्य के मुद्दे जोड़ने का निर्णय।

पैरवी समन्वय {Advocacy Coordinator}

पैरवी समन्वयक के द्वारा छः ब्लाकों में तीन माह के दौरान किये गये प्रयास एवं स्थितियां :–

क्र.	वि.खंड	चर्चा के मुख्य बिन्दु	निर्णय
1.	केवलारी	• ए.एन.एम का एन.एच.डी के दौरान समय पर न पहूँचना। • टीकाकरण के दौरान ड्यूलिस्ट न बनाना। • टी.टी वेक्सीन उपलब्ध न होना । • अनटाइड फंड का उपयोग करना। • नये केन्द्रों में रिकार्ड संधारण। • उपस्थिति असंतोशजनक होना। • दोनों विभागों की बैठक में उपस्थिति पर चर्चा • सेक्टर स्तर पर परिवार नियोजन पर जागरूकता शिविर का आयोजन पर चर्चा • सभी डिपोहोल्डर की जानकारी हितग्राहियों को हो • आशा कर्यकर्ताओं को स्लाइड बनवाने पर चर्चा	▪ अनटाईड फंड का उपयोग करने का निर्णय लिया। ▪ ड्यूलिस्ट बनाने का निर्णय लिया गया। ▪ रिकार्ड संधारण करवाने का निर्णय लिया गया। ▪ उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास करने का निर्णय। ▪ बैठक में दोनों विभागों की उपस्थिति पर निर्णय ▪ जो भी डिपोहोल्डर बनवाये गये हैं उनका नाम और उनके पास उपलब्ध दवाइयों के नाम भी सूचना पटल पर हों इसका निर्णय लिया गया। ▪ आशाओं की गृहभेंट हो एवं मंगलदिवसों में भागीदारी सुनिश्चित हो। स्लाइड कम से कम 25 माह में बनायें।
2.	बरघाट	• नये केन्द्रों में रिकार्ड संधारण। • उपस्थिति असंतोशजनक होना। • ए.एन.एम का एन.एच.डी के दौरान समय पर न पहूँचना। • टीकाकरण के दौरान ड्यूलिस्ट न बनाना। • टी.टी वेक्सीन उपलब्ध न होना । • अनटाइड फंड का उपयोग करना।	▪ रिकार्ड संधारण करवाने का निर्णय लिया गया। ▪ उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास करने का निर्णय। समय पर पहुॅचने का निर्णय लिया गया। ▪ अनटाईड फंड का उपयोग करने का निर्णय लिया। ▪ ड्यूलिस्ट बनाने का निर्णय लिया गया।

3.	घन्सौर	• आशा कार्यकर्ता की एनएचडी और मंगल दिवस में भागीदारी • टीटी की अनुपलब्धता पर चर्चा • बी.एल.ए.सी बैठक की तिथि का निर्धारण। • प्रचार साम्रगी एवं रिकार्ड अधतन संबंधी चर्चा • स्वास्थ्य व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का संयुक्त भ्रमण। • पूर्व में की गई ग्रेड़िग की समीक्षा • कुपोषित बच्चों की सूची । • परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग।	▪ प्रतिमाह बीईई एवं स्वा.सुपर आशाओं की कार्य की समीक्षा की जायेगी। ▪ आशाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। ▪ अनटाइड फंड से टीटी खरीदने का निर्णय ▪ माह में दो बार अनिवार्य रूपद से संयुक्त भ्रमण किया जाने का निर्णय ▪ पर्यवेक्षक ग्रेडिग प्रकिया पूर्ण करें इसका निर्णय लिया गया।
4.	कुरई	• बीएलएसी बैठक का निर्धारण • रोस्टर अनुसार टीकाकरण • एनएचडी पर एएनएम समय पर केन्द्र पहूँचे। • पिण्डेकापार में टीकाकरण न होना। • चिरवली गांव में 2 माह से टीकाकरण न किया जाना। • खम्भा और आमगांव में एएनसी न होना • उपस्थिति कम पाया जाना • 11वे 12वे बालसंजीवनी अभियान पर चर्चा • टीकाकरण कार्ड न भरा जाना।	▪ दूसरे बुधवार को बैठक का निर्धारण। ▪ एन.एच.डी के 1 दिन पूर्व तीनों कार्यकर्ता संयुक्त भ्रमण करके मांग अनुसार वैक्सीन ले जाये। ▪ जिन केन्द्रों में टीकाकरण नहीं हो रहा है उसे नियमित करने का निर्णय ▪ उपस्थिति पर विशेष ध्यान देने का निर्णय ▪ छोटी आयरन का उपयोग सुनिश्चित कराये जाने का निर्णय।

महिला एवं बाल विकास व स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय के बिन्दु :–

विकासखंड :– बरघाट

क.	स्वास्थ्य विभाग	क.	महिला बाल विकास
1.	टी.टी वेक्सीन के लिये फंड ए.एन.एम के द्वारा आहरण किया जाये।	1.	मोहगांव कार्यकर्ता के द्वारा महत्वपूर्ण गृहभेंट का उदाहरण रखा गया।
2.	ए.एन.एम समय पर टीकाकरण के लिये पहूँचे।	2.	रिकार्ड आं.केन्द्र में रखवाने व संधारण नियमित करने के प्रयास किये जायें।
3.	खंड स्तरीय बैठक में सकियता आये। दिनांक निश्चित करें। और दोनों विभाग सम्मिलित हों।	3.	कुपोषण स्तर अन्य विकासखंड की अपेक्षा अच्छी स्थिति पर चर्चों।
4.	कार्य की समीक्षा की जा सके इसके लिये बीएलएसी निर्धारित करें।	4.	पोनारकला केन्द्र का बंद मिलना। घारनाकलॉ 1 2 की स्थिति पर चर्चा कि कार्यकर्ता नियमित उपस्थित नहीं है।
5.	रोस्टर अनुसार व एक दिन में एक ही जगह टीकाकरण एएनएम करें।	5.	सभी केन्द्रों की ग्रेडिग करना।
6.	स्वा.कार्यकर्ता की मासिक कार्ययोजना बने।	6.	संयुक्त भ्रमण , आईईसी मटैरियल का उपयोग।
7.	संयुक्त भ्रमण सुनिश्चित हों।	7.	केन्द्र में बच्चों की उपस्थिति
8.	सुयक्त सेक्टर बैठकें निर्धारित हों।	8.	मंगल दिवस गुणवत्ता पूर्ण हों।

विकासखंड :– धनौरा

क.	स्वास्थ्य विभाग	क.	महिला बाल विकास
1.	संयुक्त गृहभेंट पर कार्ययोजना बनाना।	1.	संयुक्त गृहभेंट पर कार्ययोजना बनाना।
2.	एनएचडी पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा परामर्श हितग्राहियों को दिया जाये साथ शासकीय योजनाओं के बारे में समुदाय में समझ बनाना।	2.	अनौपाचारिक व उपस्थिती की स्थितियों से अवगत कराया गया व इस पर बैठक के दौरान चर्चा का विशय बनाने के लिये कहा गया।
3.	सैक्टर बैठक में समस्त कार्यकर्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करवाना।	3.	सेक्टर बैठकों को एजेण्डानुसार संपन्न करना एवं सेक्टर बैठक प्रपत्र का उपयोग सुपरवाईजर द्वारा करना।
4.	एएनएम एमपीडब्ल्यु का टीकाकरण के दौरान समय पर पहूँचना और टीटी अनटाइड फंड से खरीदना।	4.	केन्द्रों की ग्रेड़िग करना व केंद्र की कार्यकर्ता को स्थिति से अवगत करवाना। 11वे व 12 वें बालसंजीवनी अभियान की समीक्षा।

पैरवी के मुख्य मुद्दे

पैरवी समन्वयक के द्वारा विकासखंड स्तर और सेक्टर स्तर पर मुख्य विशय जिन पर स्थायित्व देने का प्रयास किया गया।

- सेक्टर स्तर पर परिवार नियोजन के लिये एनएसवी/एलटीटी के लिये विशेश जागरूकता शिविर व प्रोत्साहन राशि का प्रचार प्रसार हो।
- अनटाईड फंड का उपयोग टीटी के लिये।
- टीकाकरण के दिन दौरान स्वास्थ्य विभाग का समय में केन्द्र में उपस्थित होना।
- आशा कार्यकर्ता का सेक्टर बैठक में उपस्थिती सुनिश्चित करवाना।
- आशा कार्यकर्ता का आंग.कार्यकर्ता के साथ गृहभेंट व मंगलदिवस में भागीदारी ।
- माह के प्रथम सप्ताह में लिये जाने वाले वजन में साल्टर मशीन का उपयोग।
- स्वास्थ्य विभाग/आंग.कार्य/आशा की एन.एच.डी के एक दिन पूर्व संयुक्त गृहभेंट।
- संयुक्त गृहभेंट के दौरान मांग पत्र का संधारण और टीकाकरण दिवस में वेक्सीन की उपलब्धता।
- शत् प्रतिशत एएनसी की सुनिश्चितता।
- टीकाकरण रोस्टर अनुसार व एक दिन में एक ही स्थान पर टीकाकरण व स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाना।

विकासखंड कुरई घन्सौर धनौरा केवलारी बरघाट के अंतर्गत होने वाली विकासखंड स्तरीय बैठक को नियमित करवाया गया एवं दोनों विभागों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई।

मॉडल सेक्टर

संकल्प दीप

रणनीति के आधार पर कुपोषण में कमी लाने के लिये सेक्टर बैठक गोरखपुर में आंगनवाडी कार्यकर्ता एमपीडब्ल्यू एएनएम स्वास्थ्य सुपरवाईजर सेक्टर सुपरवाईजर आईसीडीएस जिला केयर अधिकारी सिवनी परियोजना अधिकारी एल के डहरिया छपारा आईसीडीएस परियोजना समन्वयक देवेश अग्रवाल सेक्टर कॉआंडीनेटर दारा सिंग द्वारा सुपोषण के स्तर को बढाने के लिये दीप जलाकर दृढ संकल्प लिया गया।

अन्य संस्था को प्रशिक्षण

24/06/2008 को चमारी में सेवाभारती संस्था के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया जोकि गोरखपुर सेक्टर के अंतर्गत आने वाले गांव में गांव स्तर पर शाला त्यागी बच्चेां को एवं अप्रवेशी बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके साथ समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण के निम्न उद्देश्य रहे:–

1. गोरखपुर सेक्टर अंतर्गत आने वाले ग्रामों में कार्य कर रहे स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की स्वास्थ्य व्यवहारों पर समझ बनाना।
2. परियोजना के कार्यकमों से जोड़ना ।
3. आगामी समय में होने वाले कार्यकमों में सहयोग लेना।
4. क्षमतावृध्दि कर आगामी समय में प्रभावी परिणाम प्राप्त करना व जवाबदेह बनाना।

इस प्रशिक्षण सत्र के दौरान 40 ग्राम के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

परिणाम:–

संकुल प्रभारी/कार्यकर्ता के द्वारा माह के चौथे शुकवार को गोरखपुर में बैठने व उद्दश्यों के अनुसार समीक्षा करने का निर्णय लिया गया।

संकुल का गठन

सेक्टर स्तर पर 4 संकुल का गठन किया गया जिसमें 1 संकुल में 6 आंगनवाड़ी जोड़ी गई। जिसमें मुख्य रूप से दस्तावेजों के संधारण को मजबूत बनाना। आपस की सीख व अनुभवों को बांटना। कार्यो की समीक्षा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की क्षमता वृध्दि करना। कुपोषण के स्तर पर चर्चा कर कमी लाने हेतु किये जा रहे प्रयासों पर चर्चा करना। टीम भावना से कार्य करने के लिये सोच बनाना।

संकुल केन्द्रों के नाम :– बीजादेवरी, सुकरी, माहुलपानी, गोरखपुर

इसके साथ ही साथ संयुक्त बैठक में किये जाने वाले शिक्षा सत्र के आयोजन में कमवार संकुल में आने वाली कार्यकर्ताओं द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना तय किया गया।

पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण :

दिनांक 29/05/2008 को सामुदायिक भवन गोरखपुर में 8 पंचायतों के पंच सरपंच सचिवों को स्वास्थ्य के विषय पर व कुपोषण पर समझ बनाने का प्रयास किया गया। जिसमें सर्वप्रथम पंचायत के इतिहास के बारे में बताया गया साथ ही स्वास्थ्य व्यवहारों पर जानकारी दी गई एवं आंगनवाडी में संचालित महिलाबाल विकास की सेवायें एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में सविस्तार बताया गया। आंगनवाड़ी के प्रति सकारात्मक सोच बनाने का प्रयास किया गया एवं कुपोषण से मरने वाले बच्चे का प्रतिशत बताकर कुपोषण की परिभाषा एवं कुपोषण होने के कारण के बारे में जानकारी दी गई। जिसमें सामुदायिक वृध्दि चार्ट छोटी आयरन गोली, ओआरएस पैकट, मेम्बेन्डाझोल, विटामिन ए और इसके साथ ही उपरी आहार का विधि प्रदर्शन कर बच्चे के खाने में तेल के उपयोग पर जानकारी दी गई।
अंत में पम्पलेट्स बांटे गये । उपस्थित पंचों ने आंगनवाड़ी से दी जाने वाली सेवाओं की निगरानी व सहयोग की बात की।

मॉडल सेक्टर गोरखपुर में पोषण स्तर में आये अंतर

क	केन्द्र का नाम	मई	जून
1	माहुलपानी	69	70
2	भेंडकी	51	65
3	सालीवाड़ा	30	39
4	चिखली	49	53
5	तिलेपानी	57	61
6	गोरखपुर	40	62
7	बीजादेवरी	57	80
8	बारी	37	49
9	पीपरढाना	49	57
10	दल्लेटोला	50	59

प्रभाव आंकलन

सेक्टर बैठकों में लिये गये निर्णयों के आधार प्रभाव निम्नानुसार देखने को मिला

टीकाकरण व स्वास्थ्य : चीखली में जांच हुई और टीके लगे।चीखली में युवराज को टीका लगा। चीखली में एएनएम द्वारा जांच नहीं की जाती थी अब नियमित हो रही है। मुर्गीटोला में बीसीजी के टीके लगे। इमलिया में वजन नियमित हो रहा है।निवारी में जांच हो रही है। छोटी आयरन का उपयोग सहजपुरी में हो रहा है।

उपस्थति : दल्लेटोला में बच्चों की उपस्थिति में वृध्दि हुई। 22 बच्चे, 05 गर्भवती महिला और 02 धात्री महिला उपस्थित हुई। सालीवाड़ा, निवारी, केवलारी में बच्चों की उपस्थिती बढ़ी है। बबैया में बच्चों की उपस्थिती में अंतर आया।

पंजीयों का संधारण : चीखली, खैरमरा में गृहभेंट पंजी भरी गई। तैंदनी गृहभेंट रजिस्टर नियमित पूर्ण की जा रही है। नये केन्द्रों मुर्गीटोला रायगढ़ में गृहभेंट पंजी का उपयोग हो रहा है। सेक्टर बाबली में कार्यकर्ता रिकार्ड लेकर आने लगी तथा मिलान किया जाने लगा। सेलुआ, सहजपुरी कार्यकर्ता के द्वारा गृहभेंट व रिकार्ड अधतन किये जा रहे हैं। देवरीकला, दरबई, चमारीखुर्द, मोहली में गृहभेंट कर पंजी नियमित भरी जा रही है। भौरगढ़ में रिकार्ड सुधार हुआ।

आशा का जुड़ावः सेक्टर बाबली में सेक्टर बैठक में आशा कार्यकर्ता का जुड़ाव होने लगा।

केन्द्रों का संचालन : सेक्टर बाबली में केन्द्र 02 बजे तक खुले रहने लगे हैं और मॉडल पंचायत के केन्द्र 04 बजे तक खुले मिले। सेक्टर नागनदेवरी के केंद्र डोगरगांव में नियमित केन्द्र खोला जा रहा है। बेरढाना में चार्ट पोस्टर का उपयोग गृहभेंट नियमित हो रही है।

पंचायत की भूमिका : निधानी पंचायत में सरपंच द्वारा कार्यकर्ता के अनयिमितता बरतने पर कार्यवाही करने की बात की गई। घोघरी पंचायत द्वारा तीनों केन्द्र पर सॉल्टर मशीन प्रदान की गई।केवलारी में ग्रामसभा में पोशण स्वास्थ्य के मुद्दे रखे गये। निधानी पंचायत और केवलारी पंचायत में सरपंच द्वारा केंद्रों का भ्रमण किया जाने लगा। केन्द्रों पर चार्ट पोस्टरों का उपयोग हो रहा है। बच्चों को छोटी आयरन की गोलियां दी जाने लगी। आ.कार्य. के गृहभेंट में सुधार आया है।

प्रसवयोजना: भीमगढ़ में प्रसव योजना बनाई जा रही है। बड़पानी, तैंदनी में प्रसव योजना बन रही हैं और गुल्लक का उपयोग हो रहा है।

सेक्टर बैठक : बम्होडी मड़ई सनाईडोगरी सिरमंगनी परासिया सिहोरा सहसना पूर्व में सुयुक्त बैठक अनिश्चित थी। अब नियमित हो रही है।कमजोर केन्द्रों की समीक्षा एवं भ्रमण प्रपत्र के आधार पर चर्चा हो रही है।संयुकत बैठक एजंडानुसार प्रतिमाह माह मढ़ी में हो रही हैं।

मंगलदिवस : मंगलदिवस का आयोजन योजनानुसार होने लगा है सेक्टर लखनादौन नागदहार नवलगांव।

एन.एच.डी. के अनुभव :-

स्वास्थ्य एवं पोशण दिवस में तीन माह के दौरान कुल 44 केन्द्रों का भ्रमण किया इस दौरान ऐसे अनुभव जिन पर ब्लाक स्तर पर और सेक्टर स्तर पर बात की गई। इसके पश्चात जो प्रभाव देखने में आये वे इस तरह हैं।

- डांगावानी मे जॉच न होना
- जूनापानी मे ए.एन.एम.का एक घंटे रुकना।
- निवारी मे हेपेटाइटिस बी लगा जांच नियमित है
- अंजनिया मे ए.एन.एम. द्वारा सबसेंटर मे वजन लिया जा रहा है।
- जूनापानी मे स्पाट फिडिंग नही ।
- डोगावानी छोटी आयरन केन्द्र मे नही।
- पायली चुरका में पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बंधी शिक्षा न देना।
- बाम्हनवाड़ा में एएनएम एमपीडब्ल्यू का पर्याप्त समय न देना।
- पायली गर्भवती महिलाओं की पेट जांच तथा वीपी जांच न होना।
- चुरका में बीसीजी के बच्चे होने पर भी वेक्सीन न ले जाना।
- पायली में एमपीडब्ल्यू का सही समय पर केन्द्र पर न पहूँचना।
- छपारा खुर्द में पंचायत प्रतिनिधि नहीं पहूँचे।
- छपारा खुर्द में टीका सही जगह नहीं लग रहा है।
- सुकरी में एनएचडी के दौरान पोशण आहार नहीं बंटा
- सुकरी में वजन नहीं हुआ।
- खैरी सभी सेवाएं दी जा रही हैं।
- सालीवाड़ा एएनएम 12 बजे पहूंची
- सालीवाड़ा में वजन नहीं हुआ छोटी आयरन नहीं बंटी। गर्भवती की जांच नहीं हुई।
- परिवार नियोजन के साधन पर बात नहीं हुई।

परामर्श शिविर का फालोअप

विकासखंड छपारा

	नाम कमाक	ग्राम	वजन 13मार्च08	वर्तमान वजन अप्रैल08	अंतर
1	प्रहलाद/भगवान	छिंदवाह	6कि.ग्रा.		1 कि. ग्रा.
2	कविता/चैनसिह	छिंदवाह	7कि.ग्रा.	7.200	200 ग्राम
3	अभिशेक/महे□ा	खु□र्पीपार	6 कि.ग्रा.	6.500	500 ग्राम
4	विकास/कंचन	खु□र्पीपार	5.800	6	200 ग्राम
5	सरस्वती/राजकुमार	तिलबोड़ी	7.500	7.800	300 ग्राम
6	साक्षी/सुकचैन	छिंदवाह	10.500	11कि. ग्रा.	500 ग्राम

मुस्कान शिविर में परामर्श

क.	बच्चे का नाम	जन्मतिथि	ग्राम	मार्च		मई	
				वजन	ग्रेड	वजन	ग्रेड
1.	मोनिका/ठाकुरराम	19.07.07	पिण्डरई	6	द्वितीय	6.4	प्रथम
2.	आशा/इेश्वर	30.04.06	पिण्डरई	8.5	प्रथम	10	सामा.
3.	अरविंद/रमसलाल	27.07.06	पिण्डरई	7.5	द्वितीय	9.2	प्रथम
4.	ओमनारायण/डाल चंद	29.10.07	प्रतापगढ़	5	तृतीय	6.1	द्विती य
5.	दीपक/मकसलाल	21.11.05	प्रतापगढ़	7.2	तृतीय	8.2	द्विती य
6.	प्रदीप/स्वामी	27.08.05	भौरगढ़	8	द्वितीय	12.2	सामा.
7.	नयनसुख/राकेश	10.08.06	चमारीक ला	7	तृतीय	7.2	द्विती य
8.	मोनिका/उदय सिंह	08.02.07	खरकर	8	सामान्य	8	सामा.
9.	आकाश/सोहन	05.09.06	प्रतापगढ़	8	द्वितीय	9.5	प्रथम
10.	रूपा/सोनू	09.05.06	प्रतापगढ़	8.5	प्रथम	10.4	सामा.

बाल संजीवनी अभियान

कुपोषण एक ऐसा शब्द जोकि गांव स्तर पर संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों में देखने को सहज ही मिल जायेगा, कुपोशण को कम करने के प्रयास निरंतर शासन के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किये जा रहे हैं। जिससे इसके प्रतिशत में कमी लाई जा सके वे बच्चे जोकि कल के सुनहरे समय के भविष्य है वे स्वस्थ रहें और बिमारियों से बचे रहें।

बाल संजीवनी अभियान जोकि शासन के द्वारा विगत 6 वर्शों से चलाया जा रहा है जिसमें कुपोशण के संबंध सूचनाएँ समुदाय तक पहूँचाना जिसमें उसके कारण और बचाव की जानकारी देना। 12 वें बाल संजीवनी अभियान की तारीख अप्रैल में निश्चित हुई कि 13 मई से 3 जून तक बाल संजीवनी अभियान मनाया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक केन्द्र की कार्ययोजना बनाई गई। जिसमें एडब्ल्यूडब्ल्यू, एएनएम, आशा , परिवर्तनकर्ता, मातृसहयोगिनी समिति को शमिल किया गया। विभाग द्वारा खंडस्तरीय बैठक में एडब्ल्यूडब्ल्य, एएनएम, एमपीडब्ल्यू, सुपर वाईजर हेल्थ और आईसीडीएस सी.डी.सी ब्लाक समन्वयक बीएमआ सीडीपीओ उपस्थित थे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की समझ बनाना। जिससे कुपोशण का कम किया जा सके। इस अभियान को लेकर निम्नानुसार गतिविधियों को सुनिश्चित कराकर व सहयोग देकर गुणवत्तापूर्ण अभियान का संचालन कराने में सहयोग दिया गयाः–

साल्टर मशीन से वजन :– केन्द्रों में वजन साल्टर मशीन से लिया जाये यह तय किया गया जिससे 90 प्रतिशत केन्द्रों में साल्टर मशीन से वजन लिया गया।

विटामिन ''ए'' की उपलब्धता ,छोटी आयरन और मेम्बेन्डाझोल की उपलब्धता :– अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि केन्द्रों में विटामिन ए छोटी आयरन व मेम्बेंडाझोल का वितरण किया जायेगा।

अभियान के दौरान सामुदायिक चार्ट की उपयोग :–सामुदायिक चार्ट के माध्यम से समुदाय को उनके बच्चों की स्थिति से अवगत कराना जिससे बच्चे की स्थिति पर समझ बन सके।

संयुक्त गृहभेंट :– इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया कि सभी बच्चों का वजन हो कोई सेवाओं से वंचित न रह सके। जिसमें आशा आंगनवाडी कार्यकर्ता एएनएम मातृसहयोगिनी समिति अध्यक्ष को शामिल किया।

गोश्टी का आयोजन :–वजन के द्वितीय दिन गोश्टी का आयोजन किया गया जिसमें प्रथम द्वितीय व तृतीय ग्रेड के बच्चों के अभिभावकों को समझाईश दी गई। गोश्टी में जीवन की आशा भाग 1 और 2 के प्रदर्शन की बात की गई।

रणनीति 1 के आधार पर अनुभव :—

ग्राम स्तर पर

- ✓ महत्वपूर्ण गृहभेंट पर जोर दिया गया।
- ✓ संयुक्त गृहभेंट आं.कार्य. व एएनएम में वृदिध हुई है।
- ✓ आशा कार्यकर्ता का जुड़ाव बढ़ा है।
- ✓ मातृसहयोगिनी समिति के सदस्यों का आंग.केन्द्र में सहयोग मिल रहा है।
- ✓ दस्तावेजों के संधारण में सकियता आई है।

सेक्टर स्तर पर

- ✓ पूर्व मुद्दे के आधार पर सेक्टर बैठक में चर्चा हुई।
- ✓ ग्रेडिंग पर चर्चा हुई।
- ✓ एनएचडी पर तुलनात्मक समीक्षा व महत्वपूर्ण गृहभेंट पर विशेश कार्ययोजना बनाई जा रही है।

विकासखंड स्तर पर

- ✓ ग्रेडिग का प्रदर्शन
- ✓ मुद्दे आधारित बी.एल.ए.सी का आयोजन
- ✓ नवजात की देखभाल एवं महत्वपूर्ण गतिविधियों की तुलनात्मक समीक्षा की गई।

जिला स्तर पर

- ✓ जिला कार्यकम अधिकारी द्वारा एमपीआर की प्रतिमाह समीक्षा की जा रही है।
- ✓ जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा गृहभेंट एवं 0 से 2 वर्श के बच्चों की देखभाल हेतु जिला स्तरीय बैठक में समीक्षा की जा रही है।
- ✓ कमजोर केन्द्रों हेतु विशेश कार्ययोजना बनाई गई है।

रणनीति 2 के आधार पर अनुभव

ग्राम स्तर पर

- ✓ आं.केन्द्रों में पंचायत प्रतिनिधियों की सहभागिता बढ़ी है।
- ✓ 3 से 6 वर्ष के बच्चों की उपस्थिती बढ़ी है।
- ✓ मॉडल पंचायत में से एक में मुद्दे आधारित ग्रामसभा सम्पन्न हुई।
- ✓ सचिव बैठक में उपस्थिती दी गई।

सेक्टर स्तर पर

- ✓ ब्लाक समन्वयक के द्वारा दो मॉडल पंचायतों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों पर सघन रूप से कार्य किया जा रहा है ।

विकासखंड स्तर पर

- ✓ पोषण एवं स्वास्थ्य के मुद्दों पर सचिव बैठक के दौरान मुद्दे रखे जा रहे है। साथ ही विशेश ग्रामसभा हेतु दिनांक सुनिश्चित की जा रही है।
- ✓ विभाग के द्वारा बैठक के दौरान योजनाओं व कुपोशण की जानकारी दी जा रही है।
- ✓ अन्य एनजीओ सेवाभारती एवं स्पंदना परियोजना के साथ जुड़कर परियोजना के उद्देश्यों की जानकारी दी जा रही है।

जिला स्तर पर

- ✓ मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा पोशण व स्वास्थ्य पर बनाई गई कार्ययोजना की समीक्षा की जा रही है।

रणनीति 3 के आधार पर अनुभव

ग्राम स्तर पर

- ✓ नये आं.केन्द्रों का भ्रमण कर जो गतिविधियॉ पुराने केन्द्रों में चल रहीं हैं उनका प्रसार किया गया।
- ✓ दस्तावेजों का संधारण कर बताया गया।
- ✓ 2 वर्श से कम उम्र के बच्चों पर विशेष ध्यानाकर्शण कराया गया। जामुनपानी भोरगढ़ सर्रा पिण्डरई बैरबंद।

सेक्टर स्तर पर

- ✓ नये केन्द्रों के आंगनवाड़ी केन्द्र का भ्रमण कर ध्यानाकर्शण किया जा रहा है। बैठक के दौरान क्षमता वृध्दि की जा रही है।
- ✓ दस्तावेजों का संधारण करवाया जा रहा है।

विकासखंड स्तर पर

- ✓ नये केन्द्रों में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों में गुणवत्ता लाने हेतु सुपरवाईजर का भ्रमण तय किया गया है।

जिला स्तर पर

- ✓ नये केन्द्रों के प्रशिक्षण में भागीदारी सुनिश्चित कर गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्रदान करने व उनकी क्षमतावृध्दि करने का प्रयास किया जा रहा है।
- ✓ आईईसी मटैरियल का वितरण किया गया है।

रणनीति 4 के आधार पर अनुभव

ग्राम स्तर पर

- ✓ कार्यक्रम में मातृसहयोगिनी समिति का जुड़ाव हो रहा है।
- ✓ मंगलदिवस गृहभेंट पंजी गुणवत्ता पूर्ण सम्पन्न किये जाने लगे हैं।
- ✓ सुपरवाईजर द्वारा गृहभैंट की समीक्षा की जा रही है।
- ✓ महत्वपूर्ण गृहभेंट व संयुक्त गृहभेंट को स्थापित किया जा रहा है।

सेक्टर स्तर पर

- ✓ ग्रेड़िग की नियमित समीक्षा की जा रही है।
- ✓ सी ग्रेड की आंगनवाड़ी केन्द्रों में पर्यवेक्षक का भ्रमण तय हुआ है।
- ✓ संयुक्त सेंक्टर बैठक में महत्वपूर्ण गृहभेंट की समीक्षा पर्यवेक्षक द्वारा की जा रही है।

विकासखंड स्तर पर

- ✓ मासिक बैठकों के दौरान परियोजना अधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण गृहभेंट की समीक्षा की जा रही है।
- ✓ पोषण एवं स्वास्थ्य के मुद्दों पर पंचायत की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।
- ✓ मातृसहयोगिनी समिति सकियता हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है।
- ✓ विभागों को दिये गये फीडबेक के आधार पर सुधार हेतु प्रयास विभाग द्वारा किये जा रहे हैं।

जिला स्तर पर

- ✓ जिला स्तर के अधिकारियों के द्वारा केन्द्रों का अवलोकन कर समीक्षा की जा रही है।

जिला स्तरीय परिणाम आधारित कार्ययोजना के अनुसार अनुभव :–

जिला स्तर पर

महिला बाल विकास विभाग	स्वास्थ्य विभाग	पंचायत
❖ कुपोशण तथा नवजात शिशु की देखभाल की स्थिति ए.एन.एम, आंगनवाड़ी कार्य. कार्यक्षमता के आधार ग्रेड़िग सुनिश्चित हुई। ❖ ग्रेड़िग के आधार पर सेक्टर व ब्लाक की प्रगति का मूल्यांकन सुनिश्चित हुआ। ❖ वि.खंड स्तर होने वाली बी.एल.बी.सी बैठक में विभागों की उपस्थिति हो रही है। ❖ जिला स्तर पर किस से प्राप्त आंकड़ों का एवं कुपोषण के आंकड़ों की ब्लाकवार समीक्षा की जा रही है ❖ जिला स्तर पर चिन्हित अति कुपोशित से ग्रसित ग्रामों हेतु विशेश कार्ययोजना तैयार की गई है।	❖ वि.खंड स्तर पर बी.एल.ए.सी की बैठक में विभाग की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। ❖ जिला स्तर पर शिशु मृत्यु के आंकड़ों की ब्लाकवार समीक्षा की कार्ययोजना तैयार की गई। ❖ विटामिन ए, आई.एफ.ए की गोली एवं स्वास्थ्य जांच हेतु लगने वाले उपकरण टी.टी. की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। ❖ जिला स्तर पर कार्ययोजना की त्रेमासिक समीक्षा की जा रही है।	❖ जिले में कुपोशण एवं शिशु मृत्यु दरों की आंकड़ों की समीक्षा की जा रही है। ❖ विकासखंड वार पोशण एवं स्वास्थ्य आधारित ग्रामसभाओं के आयोजन हेतु पंचायत को आदेशित किया जा रहा है।

सेक्टर स्तर पर

महिला बाल विकास विभाग	स्वास्थ्य विभाग
❖ नियमित सैक्टर बैठकें आयोजित हो रही हैं। ❖ शिक्षा सत्र का आयोजन वार्शिक कलेन्डर अनुसार हो रहा है। ❖ आंग.केन्द्र भ्रमण के आधार पर व्यवहार परिवर्तन की समीक्षा की जा रही है। ❖ गुणात्मक गृहभेंट सुनिश्चित करना एवं इस हेतु कार्य. को गृहभेंट रजिस्टर का नियमित संधारण करना बताया जा रहा है। ❖ आं.कार्य की क्षमता वृध्दि की जा रही है। आशा कार्य. एवं मातृसह. समिती की क्षमता वृध्दि कमजोर सेक्टर में की जा रही है। ❖ सेक्टर बैठक निर्धारित एंजेडेनुसार हो रही है। ❖ सेवाओं एवं योजनाओं से संबंधित आकड़ों की विस्तृत समीक्षा कर कमजोर आं.केन्द्रों की पहचान तथा आगामी माह में उन केन्द्रों मे भ्रमण सुनिश्चित किया जा रहा है। ❖ चिन्हित पहूँचविहीन केंदों पर निर्धारित कार्ययोजना अनुसार पोशण एव स्वास्थ्य विशय पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है।	❖ संयुक्त सेक्टर बैठक में टीकाकरण की समीक्षा की जा रही है। ❖ तकनीकी सत्रों के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ❖ स्वास्थ्य एवं पोशण दिवस की समीक्षा की जा रही है। ❖ केन्द्र स्तर पर टीकाकरण कार्ड वैक्सीन विटामिन ए आईएफए की गोली एवं जोच के लिये लगने वाले उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

ग्राम स्तर पर

महिला बाल विकास विभाग	स्वास्थ्य विभाग	पंचायत
❖ आं.कार्य के द्वारा पंजीयन सुनिश्चित किया जा रहा है। ❖ आं.कार्य आशा मातृसह.समिति के द्वारा कुछ केन्द्रों में संयुक्त गृहभेंट की जा रही है। ❖ एन.एच.डी का दिन निर्धारित हुआ है। ❖ वार्शिक कलेण्डर अनुसार नियमित मंगलदिवस का आयोजन किया जा रहा है। ❖ विभाग की योजना जैसे लाड़ली लक्ष्मी येाजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ❖ कुपोशण के स्तर को जानने हेतु नियमित वजन सुनिश्चित किया जा रहा है । एवं किस के माध्यम से उनका फालोअप किया जा रहा है।	❖ पर्यवेक्षक कर्यकर्ता के साथ जाकर एएनएम गृहभेंट को प्रभावी बना रही है। ❖ हितग्राहियों की तीन स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की जा रही है। ❖ विभाग द्वारा संचालित परि. नियोजन कार्यकम संस्थागत् प्रसव का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ❖ स्वास्थ्य एवं पोशण दिवस के दिन हितग्राहियों को स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है। ❖ स्वास्थ्य एवं पोशण दिवस के दिन आशा कार्य. की उपस्थिती सुनश्चित की जा रही है।	❖ स्वास्थ्य एवं पोशण दिवस की निगरानी पंचायत के द्वारा कुछ जगह में की जा रही हैं ❖ स्वास्थ्य समिति में पोशण एवं स्वास्थ्य के मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। ❖ वार्ड वार पंचों को कुछ जगहों में कुपोषित बच्चों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। ❖ ग्रामसभा में आं.कार्य आशा एएनएम की उपस्थिति स्वा. एवं पोशण की स्थिति की समीक्षा की जा रही है।

संस्था कार्यकर्ताओं का उन्मुखीकरण

संस्था कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन लालबर्रा बालाघाट में किया गया जिसमें एकीकृत पोषण एवं स्वास्थ्य परियोजना 3 में कार्यरत कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण में रणनीति 1 2 3 4 का दोहराओ किया गया कार्यकर्ताओं की समझ बनाई गई कि मुख्य रूप से हमें उक्त विशयों के आधार पर कार्य करना है। इसके साथ ही साथ स्तनपान पर तकनीकी सेशन लिया गर्या। स्कोप ऑफ वर्क पर चर्चा की गई। नये पद हेतु चयनित कार्यकर्ताओं एडवोकेसी कॉऑडिनेटर, सेक्टर समन्वयक, पंचायत कॉआडिनेटर की भूमिका और किस तरह से कार्य कर उद्देश्यों का प्राप्त करना है यह बताया गया। इसके साथ ही उपयोग किय जाने वाले प्रपत्रों पर समझा बनाई गई। इस प्रशिक्षण में संस्था संचालक श्री अमीन चार्ल्स केयर अधिकारी सुश्री मीनू भार्गव, श्री शशिकांत यादव उपस्थित रहे।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण

चिरंजीव प्रोजेक्ट के अंतर्गत केवलारी विकासखंड में दो भागों में समस्त कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें कुपोशण महत्वपूर्ण गृहभेंट तकनीकी हस्तक्षेप व उपरी आहार का प्रदर्शन किया गया।

कुपोशण के अंतर्गत जिले की स्थिति व विकासखंड की स्थिति से अवगत कराया गया । कुपोषण के स्तर को कम करने के लिये गृहभेंट के दौरान और मंगलदिवसों में आहार प्रदर्शन करने की सुनिश्चितता की गई। पोश्टिक सत्तू बनाने की विधि बताई गई। आंगनवाडी से समुदाय व पंचायत प्रतिनिधियों को जोड़ने का प्रयास किये जाने की बात की गई।

प्रयास

"मेरी आंखों के दो तारे"

मेरा नाम अनीता है, मैं जिला सिवनी के विकासखंड बरघाट के बोरी ग्राम की निवासी हूँ। मेरी उम्र अभी 19 साल है। मैं अशिक्षित हूँ मेरे अशिक्षित होने का यदि कारण देखा जाये तो एक मात्र कारण परिवार का दृश्टिकोण बालिका शिक्षा के प्रति नकारात्मक होना। मेरा विवाह उस समय हुआ जब में 17 साल की थी। विवाह के बाद सारी जिम्मेदारियाँ अपने ससुराल की मैंने सम्भाली। मेरे ससुराल के सभी सदस्यों का व्यवहार बहुत अच्छा है। मेरी हर बात में परिवार की सहमति होती है।

बात उस समय कि है जब मैंने गर्भ धारण किया, मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं थी कि मुझे अपनी देखभाल किस तरह करनी है। आंगनवाड़ी में मैंने पंजीयन कराया। आंगनवाड़ी से जो सेवायें कार्यकर्ता के द्वारा दी जानी चाहिये वे मुझे मिलने लगी। मुझे अतिरिक्त भोजन, आयरन के गोली खाने के लिये, आराम करने के लिये कहा गया। मुझे टी.टी. के वेक्सीन लगे, गर्भ जाँच हुई। मेरी आंखे सपना देख रही थी एक स्वस्थ बच्चे की। समय प्रसव का आ गया और मैंने अजय और विजय जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। जन्म के समय जब वजन हुआ तो मुझे बताया गया, कि दौनों बच्चों का वजन बहुत कम हैं, वे कुपोषित हैं। मुझे अधिकाधिक ध्यान देने को कहा गया। यह सोच कर मुझे बहुत दुःख हुआ कि गर्भ जांच के समय यह नहीं बताया कि मेरे पेट में दो बच्चे पल रहे हैं। इससे भी बड़ा दुःख मेरे लिये ये था कि वे कुपोषित हैं। मेरे लिये मेरे

दो आँखों के तारों को स्वस्थ करना एक बहुत बड़ा प्रश्न था। लेकिन इस प्रश्न को हल कराने में हमारे गांव की दाई पारवता, आशा कार्यकर्ता रूपवंता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कु.नशरीम खान ने समय समय में पूरा सहयोग दिया। मेरे बच्चों की गृहभेंट के दौरान देखभाल करने के तौर तरीके उन्होंने बताया। उनकी हर बात को मेरे लिये बड़ी उपयोगी सिध्द हुई।
मेरे लिये सबसे अच्छा दिन वह था जब केयर अधिकारी से मेरी भेंट हुई। उन्होंने मेरे विश्वास को बढ़ाते हुये कहा कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बच्चे सामान्य ग्रेड में नहीं आ सकते, यदि अच्छी देखभाल कि जाये तो बहुत जल्दी ही तुम्हारे बच्चे सामान्य ग्रेड में आ जायेंगें। मुझे समझाईश दी कि मुझे अतिरिक्त आहार लेना आवश्यक है।

जन्म दिनांक 18/08/07	अजय	विजय
जन्म के समय	1.500	1.300
सितम्बर	2.200	2.000
अक्टूबर	2.800	2.500
नवम्बर	3.300	3.000
दिसंबर	3.300	3.000
जनवरी	3.300	3.300
फरवरी	3.900	3.900
मार्च	4.000	4.000
अप्रैल	4.400	4.000
मई	5.000	4.600
जून	5.000	5.000

बच्चों को दूध के अलावा कुछ न देने की बात की और छः माह बाद देने के लिये पोष्टिक भोजन, आहार प्रदर्शन कर बताया, और पोष्टिक सत्तू बनाने की विधि बताई। इसके साथ ही साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को गृहभेंट कर समझाईश देने को कहा।
साथ ही केयर अधिकारी के द्वारा पोषण पूर्नवास केंन्द्र पर जाके बच्चे को भर्ती करवाना एवं आहार सलाह लेने के लिये बताया। मैंने ठीक छः माह बाद अपने बच्चों को पोष्टिक आहार देना शुरू कर दिया। मेरे पति और परिवार के अन्य सदस्य भी मेरे बच्चों का ख्याल रखते धीरे धीरे मेरे बच्चों के वजन में अंतर आना शुरू हो गया वे चतुर्थ से तृतीय स्तर पर आ गये किंतु इनमे और अधिक सुधार लाने के लिये पाषेण पूर्नवास केन्द्र सिवनी मे भर्ती करवाया जिससे मेरे बच्चो के पोषण स्तर मे प्रथम स्तर तक सुधार आया हैं और बहुत जल्दी ही सामान्य ग्रेड में वे आ जायेंगे।

अब मुझे आंगनवाड़ी से मिलने वाली सेवाओं के बारे में मालूम हो गया है और मैं गांव की अन्य महिलाओं को भी सलाह देती हूँ।

सी.डी.सी./केयर सिवनी

संस्थागत प्रसव से शिशु मृत्यु में आई कमी

सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जननी सुरक्षा योजना जिसका उद्देश्य है कि सभी प्रसव संस्थागत् हो जिससे कुपोशण व शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। और जच्चा बच्चा स्वस्थ रहें। ग्राम डांगावानी जोकि सेक्टर देवरीकला के अंतर्गत आता है वहॉ देखने को मिला कि पिछले एक वर्श में ग्राम में अविश्वसनीय परिवर्तन आया है। जिसमें वर्श 2003 से वर्तमान तक शिशु मृत्यु जानने का प्रयास किया गया। जोकि निम्नानुसार है:–

कमांक	वर्श	शिशु मृत्यु संख्या में
1.	2003	04
2.	2004	06
3.	2005	03
4.	2006	02
5.	2007	00
6.	2008 से वर्तमान तक	00

अप्रैल 2007 से जननी सुरक्षा योजना लागू की गई जिसमें अप्रैल 2008 तक कुल 31 प्रसव हुये जिसमें से 30 प्रसव संस्थागत थे जिन्हें योजनाान्तर्गत लाभ मिला। और शिशु मृत्यु नही है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमति कांति परवारे एवं पंचायत के अथक प्रयास से संस्था गत् प्रसव में वृध्दि होने से ग्राम डांगावानी की आज बहुत अच्छी स्थिति है।

सी.डी.सी.सिवनी / केयर / मध्यप्रदेश

केन्द्र भ्रमण से आया सुधार

निधानी आंगनवाड़ी केन्द्र जोकि लखनादौन ब्लाक के बाबली सेक्टर में है इसका भ्रमण 15.03.2008 को किया गया। तब केन्द्र बंद पाया गया। इसके बाद आंगनवाडी कार्यकता से सेक्टर बैठक के दौरान कहा गया कि केन्द्र निधानी बंद मिला। तब सेक्टर बैठक में ही सुपरवाईजर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा निर्णय लिया गया कि केन्द्र अब हमेशा निर्धारित समय में खोला जायेगा। इसके उपरांत 22.03.2008 को पुनः भ्रमण किया गया तब देखा गया कि कार्यकर्ता केन्द्र में उपस्थित रही और बच्चों की उपस्थिती भी संतोशजनक रही। इसके बाद कार्यकर्ता से जानकारी ली गई कि इस गांव में कितने परिवार निवास करते है कौनसी जाति के लोग रहते हैं। यहां के लोगों का व्यवसाय क्या है। कार्यकर्ता के द्वारा बताया गया कि इस गांव में आदिवासी परिवार निवास करते है और इनका मुख्य व्यवसाय मजदूरी है। कार्यकर्ता के साथ गृहभेंट की गई। और इसी दौरान सरपंच से मिला गया सरपंच को पोशण एवं स्वास्थ्य के मुद्दे पर चर्चा की गई। तब सरपंच के द्वारा कहा गया कि आप 27.03.2008 को ग्राम सभा का आयोजन किया जावेगा और उसमें आपकी उपस्थिती होगी।

नियत तिथि में कार्यकर्ता के साथ ग्रामसभा में उपस्थिती दी गई। ग्रामसभा में पोशण एवं स्वास्थ्य के मुद्दे पर और कुपोशण पर चर्चा की गई। और मात्रा गुणवत्ता बारम्बारता पर विशेश रूप से समझ बनाई गई।आज की स्थिति में यह देखने को मिलता है कि पंचायत का जुड़ाव आंगनवाड़ी केन्द्र से हुआ है और आंगनवाड़ी का संचालन नियमित सही तरीके से हो रहा है।

सी.डी.सी.सिवनी / केयर / मध्यप्रदेश

समेकित बाल विकास परियोजना

उद्देश्य –

1. बच्चों में कम जन्म भार और गंभीर कुपोषण को कम करना।
2. छः साल तक की उम्र के बच्चों में मृत्यु और अस्वस्थता की दर कम करना।
3. 3–6 साल के बच्चों के लिए कम उम्र में शिक्षा कार्यक्रम शुरू करके स्कूल की पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर कम करना।
4. बच्चों के मानसिक, शारिरिक, और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ उपलब्ध करना।
5. बच्चों की उचित देखभाल करने की माताओं की क्षमता बढ़ाना।
6. बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने के स्तरो पर प्रभावकारी तालमेल कायम करना।

योजना का स्वरूप और कार्य क्षेत्र –

भारत शासन में मापदण्डों के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण और आदिवासी विकासखण्डों तथा शहरी क्षेत्रों में योजना संचालित है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पांच सौ की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र एवं पहुंच विहीन, पथरीले एवंदुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में 300 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किया जा रहा है।

योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से हितग्राहियों को निम्न सुविधाएँ दी जाती है।

1 पूरक पोषण आहार
2 स्वास्थ्य जाँच
3 प्राथमिक टीकाकरण
4 स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा
5 संदर्भ सेवा
6 पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा

पात्र हितग्राही – 6 वर्ष तक के बच्चे तथा गरीब गर्भवती धात्री महिलाऐं हितग्राही होती है।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया – राज्य स्तरपर महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी/ जिला महिला और बाल विकास अधिकारी, परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी, परियोजना द्वारा योजना का क्रियान्वयन कराया जाता है। स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा भी परियोजना का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में इंदौर, रायसेन, सीधी, दमोह में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा परियोजनाऐं संचालित की जा रही है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना

उद्देश्य – प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना। बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने, बालिका भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू। बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर योजना रूपये 2000/–, कक्षा 9 वीमें प्रवेश लेने पर रूपये 4000/– और कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर रूपये 7500/– का एक मुश्त भुगतान किया जावेगा। कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने के पश्चात् आगामी 2 वर्ष के लिये रूपये तथा 12 वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर शेष मुश्त राशि का भुगतान किया जायेगा। परन्तु यह शर्त होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पश्चात् हुआ हो।

पात्र हितग्राही – ऐसी बालिकाए जिनका जन्म दिनांक 1 जनवरी 2006 को या उसके बाद हुआ हो। प्रदेश के किसी भी आंगनवाडी केन्द्र में पंजीकृत हो। जिनके माता–पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो, आयकर दाता न हो और दो या दो से कम संतान हो तथा जिनके माता –पिता ने योजना में पंजीकरण हेतु आवेदन करने के पूर्व परिवार नियोजन अपना लिया हो। प्रदेश के किसी अनाथालय अथवा किसी बालिका अनुरक्षण गृह में निवासरत हो।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया – योजना में पंजीयन के लिए माता–पिता/अभिभावक द्वारा बालिका के जन्म के एक वर्ष के अंदर संबधित आंगनवाडी कार्यकर्ता को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि बालिका अपनी माता – पिता की प्रथम संतान है तो द्वितीय संतान के जन्म के एक वर्ष के अन्दर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

संपर्क सूत्र – समीपस्थ आंगनबाडी केन्द्र
(महिला एवं बाल विकास विभाग)

पूरक पोषण आहार योजना

उद्देश्य –

1. बच्चो तथा गर्भवती धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार लाना।
2. बच्चों में कम जन्मभार ओर गंभीर कुपोषण को कम करना

योजना का स्वरूप – प्रदेश के ग्रामीण, आदिवासी तथा शहरी क्षेत्रों में योजना संचालित और कार्यक्षेत्र है।

पात्र हितग्राही – 6 वर्ष तक के बच्चे गर्भवती धात्री महिलाए तथा किशोरी बालिकाएं हितग्राही होती है।

योजना का कियान्वयन – 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चो तथा गर्भवती/धात्री माताओ की प्रकिया को पूरक पोषण आहार प्रदाय की व्यवस्था भिन्न–भिन्न होती है । 06माह से 03 वर्ष तक के बच्चों को विनिंग फूड का प्रदाय किया जाता है। आंगनबाडी केन्द्रो मे प्रदाय किये जाने वाले पूरक पोषण आहार के लिए आवश्यक पोषकत्व एवं कैलोरी निर्धारित की गई है। 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चो तथा गर्भवती/धात्री माताओ को निम्नानुसार सामग्री प्रदाय की जाएगी । 1. पुरी एवं मिक्स सब्जी, 2. पौष्टिक मठरी, 3. गेहू सोया बर्फी, 4. सूजी एव बेसन के लड्डू, 5. दाल सब्जी का उपमा, 6. चावल एव बेसन के लड्डू, 7. मुरमुरा एव चना लड्डू, 8. पोहा खमण, 9. मुगफली की पट्टी, 10. पौष्टिक पोहा, 11. बाजरा मठरी, 12. खस्ता लड्डू, 14. मुगफली तिल्ली एव नारियल चिक्की, 15. खीर–पूरी, 16. दूध , 17. मौसमी फल इत्यादि । इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कोई अन्य उपयुक्त सामग्री रोटी, सब्जी/रोटी, दाल इत्यादि एव स्कूलो मे प्रदाय किए जा रहे माध्यान्ह भोजन के स्वरूप अनुसार दिए जाने की स्वतंत्रता जिला स्तर पर है।

सम्पर्क सूत्र – समीपस्थ आगनबाडी केन्द्र
(महिला एव बाल विकास विभाग)

1. गोद भराई योजना

उद्‌देश्य – गर्भावस्था का पता चलते ही महिला का पंजीयन आगनबाडी केन्द्र मे कराना । परम्परागत एव पोष्टिक आहार के उपयोग को बढ़ावा देना । गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व तीन स्वास्थ्य जाच, टीके लगाया जाना सुनिश्चित करना । संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराना । उचित आयु मे विवाह को बढ़ावा देना तथा प्रथम प्रसव एव द्वितीय प्रसव मे वर्ष का अतर रखने की जागरूकता को बढ़ावा देना ।

योजना का स्वरूप – प्रदेश के ग्रामीण, आदिवासी तथा शहरी क्षेत्रो मे योजना संचालित और कार्यक्षेत्र है।

पात्र हितग्राही – ऐसी महिलाऐ जो आगनबाडी केन्द्र मे पंजीकृत हो उन्हे योजना का लाभ दिया जाता है।

योजना कियान्वयन – कार्यकम का कियान्वयन माह के प्रथम मंगलवार को आगनवाडी की प्रकिया स्तर पर किया जाता है। आंगनबाडी कार्यकर्ता हितग्राही गर्भवती स्त्रियॉं, स्थानीय महिलाओं ग्राम पंचायतो की महिला सदस्यों एव सहयोगिनी मातृ समिति के सदस्यो को कार्यकम मे आमंत्रित करती है। कार्यकम का आयोजन समारोह पूर्वक किया जाता है। आंगनबाडी कार्यकर्ता सभी गर्भवती महिलाओं को आयरन फौलिक एसिड की 100 गोलियॉं, मातृ एव शिशु रक्षा कार्ड, श्रीफल, सिंदूर, चूडी, बिंदी आदि से गोद भरती है। पात्र हितग्राही होने पर उसी दिन, अति गरीब महिलाओं को प्रसव पूर्व आर्थिक सहायता राशि रू. 500/– भी प्रदान किये जाते है।

संपर्क सूत्र – समीपस्थ आंगनवाडी केन्द्र
(महिला एवं बाल विकास विभाग)

2. अन्नप्राशन योजना

उद्‌देश्य – छः माह के बाद मां के दूध के साथ–साथ पूरक आहर दिये जाने के स्तर को बढाना ताकि बच्चे को कुपोषण से बचाया जा सके । आई. सी.डी.एस. कार्यकम मे सामुदायिक सहयोग एवं जनसहभागिता को बढाना। शिशु मृत्यु दर को कम करना । स्थानीय ग्रामीण परंपराओ से समेकित बाल विकास को जोडते हुए समेकित बाल विकास सेवा योजना को आपनाने के लिए समाज मे जागरूकता लाना ।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र – प्रदेश के ग्रामीण, आदिवासी तथा शहरी क्षेत्रों मे योजना सचालित है।

पात्र हितग्राही – आगनबाडी केन्द्र मे आने वाला प्रत्येक बच्चा जिसकी आयु छः माह की हो गई है।

योजना कियान्वयन – कार्यकम का आयोजन प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को आगनवाडी स्तर की प्रकिया पर किया जाता है । बच्चे की माँ पर या परिवार के अन्य सदस्यों यथा दादी, दादा, पति, को उपरी आहार की शुरूआत का महत्व बताकर बच्चे का अन्नप्राशन कराया जाता है । प्रेरणा स्वरूप ऐसे बच्चे जिनका अन्नप्राशन किया गया है उनकी सूची आंगनवाडी केन्द्र की दीवार पर लगाई जाएगी एव उनको उपहार के रूप मे कटोरी–चम्मच दी जावेगी ।

सम्पर्क सूत्र – समीपस्थ ऑंगनवाडी केन्द्र
(महिला एवं बाल विकास विभाग)

3. जन्म दिवस योजना

इस कार्यकम को समस्त आंगनवाडी केन्द्रो मे पोषण आहार योजना के अतर्गत कियान्वित किया जाएगा ।

गृह भेंट :- कब करें, कैसे करें एवं उद्देश्य

क्र	हितग्राही	गर्भ के माह / प्रसव	भेंट	उद्देश्य
1.	गर्भवती प्रसव पूर्व देखभाल	4था	एक	शीघ्र पंजीयन, स्वा.पो.दि. दिन में आराम, टीकाकरण, आयरन फोलिक एसिड की गोलिया का सेवन, इससे संबंधित समस्याओं की समझाइश गोद भराई कार्यक्रम, केन्द्र आने की समझाइश, गोद भराई में (गुल्लक, साफ सूती कपड़े की तैयारी)
2	——"——	6 वां	एक	जन्म की योजना, संस्थागत प्रसव, वाहन की पहचान, बचत (सेहत बैंक) खतरे वाली माता की पहचान, अतिरिक्त आहार एवं समस्या की पहचान एवं परामर्श।
3.	——"——	8 वां	एक	जन्म की योजना पर चर्चा, स्वास्थ्य जांच, स्तनपान पर चर्चा। खतरे वाली माता की समस्या पर चर्चा व निदान ।
4.	——"——	9 वां	एक	संस्थागत प्रसव पर चर्चा, (साफ सूती कपड़े की तैयारी) तुरन्त स्तनपान की सलाह एवं नवजात शिशु की देखभाल की समझाइश ।
5.	धात्री महिला प्रसव पश्चात देखभाल	प्रसव के समय	एक	नवजात शिशु की देखभाल, तुरन्त सूती कपड़े से पोंछना, नहलाना नहीं, तुरन्त स्तनपान, (घूटी, शहद पानी नहीं देना) वजन लेना, खतरे वाले नवजात बच्चे की पहचान व परामर्श ।
6.	——"——	प्रसव के एक सप्ताह के अन्दर	दो	नवजात शिशु व मां की देखभाल, मां को आयरन की 100 गोली की समझाइश, स्तनपान से जुड़ी समस्याओं का निदान, मां के दूध के अलावा कुछ न दें, नवजात में खतरे पर निगरानी पर समझाइश ।
7.	——"——	प्रसव के एक माह के अन्दर	दो	नवजात शिशु की देखभाल, संपूर्ण स्तनपान पर जोर, समय सारिणी अनुसार टीकाकरण, मां के आहार की जानकारी, मां के लिए आयरन फोलिक एसिड की गोलिया, तथा आंगनवाड़ी केन्द्र आने की समझाइश ।
8.	स्तनपान पर जोर	बच्चे के छः माह का होने पर	1 भेंट	ऊपरी आहार, अन्न प्राशन की तैयारी, टीकाकरण, आंगनवाड़ी, केन्द्र पर आने की समझाइश, स्तनपान जारी रखने की समझाइश ।
9	बच्चे के ऊपरी आहार पर जोर स्तनपान के साथ–साथ	7 माह का होने पर	2 भेंट	ऊपरी आहार, शुरू करना, ऊपरी आहार की मात्रा गुणवत्ता, सफाई एवं बनाने के तरीके को समझाना तथा अर्ध ठोस आहार एवं सक्रिय आहार पर बल। बीमारी के दौरान तथा बीमारी के पश्चात आहार । वजन पर निगरानी तथा स्तनपान जारी रखने की सलाह ।
10.	बच्चे के ऊपरी आहार, टीकाकरण, विटामिन 'ए' पर जोर	9 माह का होने पर	1 भेंट	आयु के अनुसार आहार की मात्रा भरपूर (मात्रा कम से कम 100 से 200 ग्राम) को बढ़ाकर देने पर जोर, साफ–सफाई गुणवत्ता व भोजन पकाने की विधियां की समझाइश, खसरे के टीके के साथ विटामिन 'ए' देने की समझाइश, वजन पर निगरानी एवं चर्चा।
11	बच्चे को ऊपरी आहार	12 माह का होने पर	1 भेंट	ऊपरी आहार की मात्रा बढ़ाने पर जोर, भोजन की गुणवत्ता, मात्रा व सफाई पर विशेष समझाइश, खसरे के टीका एवं प्राप्ति पर विशेष चर्चा, हर छः–छः माह में विटामिन 'ए' देना, कृमि की दवा एवं आयरन की छोटी गोली देने पर चर्चा, वजन पर निगरानी ।

"आवश्यक गृहभेंट से बाल मृत्यु एवं कुपोषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है"

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग, सिवनी

कलेक्टर
सिवनी

विटामिन "ए" का महत्व

विटामित "ए" भोजन में पाया जाने वाला एक तत्व है, जो -

- आखों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।
- आंखों को स्वस्थ और कियाशील बनाए रखता है।
- विटामिन ''ए'' खसरा, दस्त और संक्रमण से बचाता है ।
- शारीरिक विकास एवं वृद्धि में सहायक होता है।
- विटामिन ''ए'' का निर्माण शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता, इसलिए भोजन में इसका नियमित और पर्याप्त मात्रा में सेवन आवाश्यक है।
- हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, मेथी, बथुआ, मूलीपत्ते तथा पत्ता गोभी, कद्दू, गाजर, आम, पपीता में तथा मांस मछली, अण्डे, दूध, मक्खन, घी, तेल मे विटामिन ''ए'' पाया जाता है।
- विटामिन ''ए'' की खुराक 9 माह से 5 वर्ष के बच्चो को प्रति 6 माह मे देना चाहिए ।
- विटामिन ''ए'' आखों को रोगों से बचाता है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग, सिवनी

कलेक्टर
सिवनी

क्या अधिकार देता है यह कानून..

- यह हमारे देश का पहला कानून है, जो महिलाओं को (मायका–ससुराल) में रहने का अधिकार देता है तथा घरेलू हिंसा को अपराध की श्रेणी में देखता है।
- इस कानून के तहत महिला को अपने घर में सुरक्षित रहने का हक व आर्थिक सुरक्षा का अधिकार भी दिया गया है। यह कानून स्वयंसेवी संस्थाओं और महिला संगठनों को सेवा प्रदाता संस्था के रूप में मान्यता देता है।
- महिला उसी घर में रह सकेगी, जहां वह पहले से रहती है। हिंसा करने वाले व्यक्ति को उस घर में न घुसने का आदेश भी दिया जा सकता है।
- यदि घर में जगह नहीं है, तो किराए का घर दिलवाने और उसका किराया भरने की जिम्मेवारी भी उस व्यक्ति की होगी।
- संबंधित इलाके के पुलिस थाने को यह निर्देश दिए जाएंगे कि वह महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
- हिंसा करने वाले के बाण्ड भी भरवाया जाएगा ताकि वह घर या बाहर कहीं भी हिंसा न कर सके।
- मजिस्ट्रेट हिंसा करने वाले को निर्देशित कर सकते हैं कि महिला को जो भी आर्थिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करे।
- गुजारा भत्ता हर महीने अथवा एक मुश्त भी ले सकता है।
- संरक्षण के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट बच्चों की कस्टडी का आदेश भी दे सकते है। बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी महिला को सौंपी जा सकती है।

खास नियम..

- महिला के बयानों से केस का फैसला होगा। इस अपराध के लिए आयतन ही जमानत देने की अधिकारी है, पुलिस नहीं। महिला जहाँ भी रहती है, उसी क्षेत्र के मजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकती है।
- कोर्ट जो आदेश देगा उसकी कॉपी की कोई फीस नहीं लगेगी। यह कॉपी पुलिस व सेवा देने वाली संस्थाओं को भी मुफ्त दी जायेगी।
- अगर पहली नजर में मजिस्ट्रेट को यह लगे कि महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई, तो वे अंतरिम व एकतरफा आदेश भी दे सकते है।
- अगर महिला का कोई नुकसान हुआ है या उसे चोट आई है तो मुआवजे का आदेश भी दिया जा सकता है।
- मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ एक महिने के अन्दर सत्र न्यायालय में अपील हो सकेगी।

कानूनी कदम

संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के पालन नहीं करवाए तो उसको एक साल तक की सजा व 20 हजार रू. तक जुर्माना या दोनों ही हो सकते है। महिला संगठनों की मांग है कि संरक्षण अधिकारी महिला होनी चाहिए।

खामियाँ

- महिला "साझा घर" में रह तो सकती है, पर उसका हिस्सा नहीं बटा सकती है।
- संरक्षण अधिकारी का एक अलग पद नहीं है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकारी पर अन्य कई कार्यों का दायित्व है।
- दो साल बाद भी कानून केवल कागजों पर है, जबकि घरेलू हिंसा लगातार बढ़ रही है। इसके प्रचार–प्रसार व क्रियान्वयन में काफी उदासीनता है।

सबसे अच्छी बात..

इस कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति, संस्था के द्वारा घरेलू हिंसा से बचने के लिए सद्‌भाव पूर्ण की गई शिकायत या सूचना देने के कारण इस व्यक्ति या संस्था के उपर कोई केस या मुकदमा नहीं चलाया जायेगा।

बस अब और नहीं ....

महिलाओं और बालिकाओं पर होने वाली हिंसा उनके मानावधिकारों का हनन है।

आईये, हम सब जो हिंसा मुक्त समाज का सपना देखते हैं, उसे साकार करने में एकजुट हो जाएं।

हिंसा सहने से कभी खत्म नहीं होगी,
आइये, मिलकर हिंसा के खिलाफ आवाज उठायें।

अधिकारों को वास्ते – लूप करें अब रास्ते

महिलाओं का जीवन सुरक्षा कवच

घरेलू हिंसा से बचाव कानून 2005

26 अक्टूबर 2006 से भारत में लागू

रूकिये !!!

अब मायका या ससुराल में औरतों के साथ अत्याचार आपका व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि कानूनी अपराध है।

पढ़िये

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा कानून 2005 जो इस पर्चे में लिखा है ....

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग, सिवनी

कलेक्टर
सिवनी

" कानून क्या कहता है, इस कानून की जरुरत क्यों है ? "

घरेलू हिंसा क्या है ?

घरेलू संबंधी में महिला या उसके नाबालिक बच्चों के साथ किया गया कोई ऐसा बर्ताव जिसकी वजह से उसे क्षति होती है या उसके स्वास्थ्य, सुरक्षा या जीवन पर कोई भी खतरा आता है जिसमें शारीरिक या मानसिक, मौखिक, भावनात्मक व आर्थिक दुर्व्यवहार आते है।

यौनिक दुर्व्यवहार

कोई भी ऐसा यौनिक प्रकृति का दुर्व्यवहार जो महिला को अपमानित करता हो या उसकी इच्छा के विरुद्ध हो ।

जैसे – जबरदस्ती यौन संबंध, अश्लील तस्वीरें / फिल्म दिखाना, बलपूर्वक यौनिक संबंध बनाना ।

शारीरिक दुर्व्यवहार

कोई भी ऐसा कार्य जिसकी वजह से शारीरिक तकलीफ हो या स्वास्थ्य व जीवन को खतरे में डाले या महिला के स्वास्थ्य या विकास में बाधक हो ।

जैसे – पीटना, थप्पड़ मारना, काटना, धक्का देना, किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट देना जो आपराधिक श्रेणी में आता है।

मौखिक दुर्व्यवहार

ऐसे शब्द इस्तेमाल करना जो मानसिक रूप से परेशान करे ।

जैसे – बेइज्जती करना, गाली देना, मजाक उड़ाना, ताने देना (लड़का न होने पर, दहेज,इत्यादि)

भावनात्मक दुर्व्यवहार

महिला के प्रिय या करीबी व्यक्ति को कष्ट पहुँचाना या धमकी देना ।

जैसे – बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना, महिला को नौकरी न करने देना, किसी से मिलने से रोकना, जबरदस्ती शादी करवाना, आत्महत्या करने की धमकी देना ।

आर्थिक दुर्व्यवहार

किसी भी प्रकार के आर्थिक संसाधन से दूर रखना ।

जैसे – कानून कोई द्वारा मिले संसाधन से वंचित रखना स्त्रीधन न इस्तेमाल करने देना, संयुक्त संपत्ति से वंचित रखना, पीड़िता व बच्चों की घरेलू जरूरतें पूरी न करना ।

शिकायत किसके खिलाफ ?

शिकायत वयस्क पुरुष या उसके संबंधियों जिनकी पीड़ित महिला के साथ घरेलू संबंध हो , जैसे पति या पुरुष साथी (जो एक ही घर में रह रहे हों)

किससे शिकायत कर सकते हैं ?

प्रोटेक्शन आफिसर (संरक्षण अधिकारी) – म.प्र. राज्य सरकार द्वारा महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी (ICDS) को अधिकृत किया गया है।

- वो पीड़िता को इस अधिनियम के अंतर्गत उसके हकों के बारे में बताए ।
- घरेलू हिंसा की शिकायत व मजिस्ट्रेट को देने में पीड़िता की सहायता करे
- संबंधित व्यक्ति के घर पर जाए व घटनाक्रम की रिपोर्ट तैयार कर मजिस्ट्रेट को दे ।
- पीड़िता को निःशुल्क कानूनी सहायता, परामर्शदाता की उपलब्धता, चिकित्सकीय सहायता, संरक्षण गृह के बारे में जानकारी दे ।

पुलिस ऑफिसर :-

यदि पुलिस को घरेलू हिंसा की शिकायत मिलती है, तो वह उसे संरक्षण अधिकारी के पास ले जाएगा ताकि वो मजिस्ट्रेट तक पहुँच जाए । यदि शिकायत में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत या किसी अन्य कानून के अंतर्गत कोई अपराध है तो पुलिस एफ आई आर दर्ज करेगी ।

सर्विस प्रोवाइडर (सेवा प्रदाता) :-

- अधिकृत NGO (रजिस्टर्ड) को अधिकृत किया गया है । इनका कार्य निम्न होता है :-
- प्रकरण की रिपोर्ट बनाना व उसे मजिस्ट्रेट प्रोटेक्शन आफिसर व पुलिस को देना ।
- पीड़िता के लिए संरक्षण सुनिश्चित करना/करवाना ।
- पीड़िता के चिकित्सकीय सहायता दिलवाना ।

प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट :-

इनके कार्य निम्न हैं :-

- आवेदन मिलने के तीन दिन के अंदर मेजिस्ट्रेट सुनवाई की तारीख निश्चित करता है
- आपातकालीन स्थिति में मेजिस्ट्रेट एक तरफा आदेश भी दे सकता है।
- मेजिस्ट्रेट संरक्षण अधिकारी अथवा सेवा प्रदाता से प्रकरण की रिपोर्ट लेगा ।
- एक तरफा आदेश देने से पहले मेजिस्ट्रेट उपरोक्त रिपोर्ट पर भी ध्यान देगा ।
- मेजिस्ट्रेट एक या दोनों पक्ष को सुनवाई के दौरान परामर्श या काउंसिलिंग करवाने के निर्देश भी दे सकता है।

कब शिकायत की जा सकती है ?

- जब घरेलू हिंसा की घटना होने की आशंका हो ।
- जब घरेलू हिंसा की घटना हो रही हो ।
- जब घरेलू हिंसा की घटना हो चुकी हो ।

आपातकालीन स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं ?

आपातकालीन स्थिति में संरक्षण अधिकारी अथवा सेवा प्रदाता दोनों ही पुलिस से तुरंत सहायता ले सकते है । जो प्रकरण के हिसाब से घरेलू हिंसा के स्थल में जा कर रिपोर्ट लिखेगी प्रस्तुत करेगी ताकि बिना किसी देरी के आदेश पारित किए जा सकें ।

आंगनवाड़ी केन्द्र निरीक्षण प्रतिवेदन

1. आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम/क्रमांक ....

2. परियोजना क्षेत्र..

3. वार्ड का नाम/क्रमांक..

4. पूर्व निरीक्षण दिनांक.......................... 5. निरीक्षण कर्ता का नाम..........................

[illegible]

टीकाकरण

[illegible]

(ब) [illegible]

[illegible]

केन्द्र पर प्रदाय सामग्री का उपयोग हो रहा है/नहीं ....

एम.सी.पी. कार्ड केन्द्र को कुल कितने उपलब्ध कराये गये..........................

कितने गर्भवती हितग्राहियों को दिये गये.......................... कितने कोरे कार्ड शेष हैं..........................

कितने हितग्राहियों को देना शेष है.......................... कितने कार्ड पूर्ण भरे गये..........................

कितने कार्ड अपूर्ण भरे पाये गये..........................

6. पोषण आहार व्यंजन

(अ) आज कौन सा व्यंजन केन्द्र पर आया.............................. प्राप्त मात्रा..............................

(ब) गुणवत्ता संतोषजनक/असंतोषजनक यदि असंतोषजनक है तो कारण..............................

7. पंजीयों का संधारण

क्र.	पंजी का नाम	संधारित है/नही	पूर्ण/अपूर्ण	अपूर्ण होने का कारण
1.	सर्वे पंजी			
[illegible]	[illegible]			
2.	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
9.	[illegible]			
10.	[illegible]			
11.	[illegible]			

[illegible]

(अ) [illegible]

(ब) [illegible]

1. [illegible].............................. 2. [illegible].............................. 3. [illegible]..............................

9. [illegible]..............................

....

10. [illegible]..............................

11. आंगनबाड़ी केन्द्र के [illegible]..............................

....

12. योजना से सम्बन्धित

(अ) [illegible] योजना के अंतर्गत बनाये गये प्रकरण [illegible].............................. वित्तीय वर्ष में..............................

(ब) [illegible] चालू माह में.............................. वित्तीय वर्ष में..............................

13. अन्य विवरण

(अ) कार्यकर्ता का कार्य संतोषजनक/असंतोषजनक है।

(ब) सहायिका का कार्य संतोषजनक/असंतोषजनक है।

(स) सामान्य टीप/निर्देश..............................

....

हस्ता./आंगनवाड़ी कार्य. हस्ता./निरीक्षण कर्ता

आंगनबाड़ी केन्द्र.............................. पदनाम..............................

वार्ड.............................. कार्यालय का नाम..............................

पोषण आहार सप्ताह 01 से 07 सितम्बर 2007

क्रमांक	आयोजन का स्तर	दिनांक	आयोजित की जाने वाली गतिविधियां	प्रतिभागी
1	2	3	4	5
		01-09-2007 से [illegible]	आंगनवाड़ी केन्द्र ग्राम में गृहभेंट एवं ऊपरी आहार के संदेश [illegible]	महिला बाल विकास / स्वास्थ्य विभाग / शिक्षा विभाग / [illegible] एवं [illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	महिला बाल विकास / [illegible] / [illegible] / [illegible] एवं [illegible]
		[illegible]	[illegible]	महिला बाल विकास / [illegible] / [illegible] एवं [illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	महिला बाल विकास / [illegible] एवं [illegible]
	[illegible]	[illegible]-2007	[illegible]	महिला बाल विकास / [illegible] एवं [illegible]
	जिला स्तर पर	07-09-2007	[illegible]	महिला बाल विकास / [illegible] / [illegible] / जनप्रतिनिधिगण एवं [illegible]

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास,
जिला–सिवनी

आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के सम्बंध में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी का प्रारूप

क्र0	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत केन्द्रों की संख्या	परियोजना अधिकारी/ए.एस.आ./ए.पी.ओ./पर्यवेक्षकों के नाम एवं पद	निर्धारित भ्रमण दिवसों की संख्या	वास्तविक किये गये भ्रमण दिवसों की संख्या	पर्यवेक्षकों के भ्रमण में आच्छादित आंगनबाड़ी [illegible]	निरीक्षित की गई आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	ऐसे केन्द्रों की संख्या जिनमें 60 प्रतिशत से [illegible]	ऐसे केन्द्रों के नाम जिनमें [illegible]	ऐसे केन्द्रों के नाम जिनमें [illegible] खुले न थे [illegible]	ऐसे केन्द्रों के नाम जिनमें अभिलेख [illegible]	पर्यवेक्षक द्वारा की गई कार्यवाही एवं पत्र प्रेषित का विवरण	बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही [illegible]	की गई दण्डात्मक कार्यवाही			
														कितनों की सेवाएँ समाप्त की गईं		कितनों से मानदेय काटे गये	
														कार्यकत्री	सहायिका	कार्यकत्री	सहायिका
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

जिला स्तरीय
समन्वय बैठक स्वास्थ्य विभाग
एवं महिला बाल विकास[D.L.A.C]

खंड स्तरीय समन्वय बैठक स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास[B.L.A.C]

आंगनवाडी केंद्रों में खेल खेल में शिक्षा ....

Contact for details at cdcindia@rediffmail.com
or log in www.cdcmp.org

COMMUNITY development centre

COMMUNITY development centre